इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल 2017—वैशाख 8, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2017

क्र. ई-5-810-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती पुष्पलता सिंह, आयएएस., आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन को दिनांक 22 जून से 1 जुलाई 2017 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती पुष्पलता सिंह की अवकाश अवधि में श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे, आयुक्त महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पुष्पलता सिंह, भा.प्र.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती पुष्पलता सिंह द्वारा आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जयश्री कियावत सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती पुष्पलता सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पुष्पलता सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-867-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तरुण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला राजगढ़ को दिनांक 18 से 19 मई 2017 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 मई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री तरुण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री प्रवीण सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला राजगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री तरुण कुमार पिथोड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री तरूण कुमार पिथोड़े, द्वारा कलेक्टर, जिला राजगढ़ का कार्यभार गृहण करने पर श्री प्रवीण सिंह, कलेक्टर जिला राजगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगें.

(5) अवकाशकाल में श्री तरूण कुमार पिथौड़े, को अवकाश एवं वेतन भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरुण कुमार पिथौड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-831-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती स्वाती मीणा नायक, आयएएस. कलेक्टर, जिला खण्डवा को दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 09 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती हैं.

(2) श्रीमती स्वाती मीणा नायक की अवकाश अवधि में श्री वरदमूर्ति मिश्रा, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, खण्डवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला खण्डवा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती स्वाती मीणा नायक द्वारा कलेक्टर, जिला खण्डवा का कार्यभार गृहण करने पर श्री वरदमूर्ति मिश्रा, कलेक्टर जिला खण्डवा के प्रभार से मुक्त होंगें.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती स्वाती मीणा नायक, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्वाती मीणा नायक अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-876-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तेजस्वी एस. नायक, आयएएस., कलेक्टर, जिला बड़वानी को दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08,09 एवं 14 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री तेजस्वी एस नायक, की अवकाश अवधि में श्री बी. कार्तिकेयन,भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला बड़वानी का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री तेजस्वी एस नायक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बड़वानी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री तेजस्वी एस नायक द्वारा कलेक्टर, जिला बड़वानी का कार्यभार गृहण करने पर श्री बी कार्तिकेयन, भाप्रसे उक्त के प्रभार से मुक्त होंगें.

(5) अवकाश काल में श्री तेजस्वी एस. नायक को अवकाश एवं वेतन भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तेजस्वी एस. नायक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-892-आयएएस-लीव-5-एक.—(1)श्री आशीष सिंह, आयएएस., आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन को दिनांक 14 से 17 मार्च 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11,12,13 एवं 18, 19 मार्च 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री आशीष सिंह, को अवकाश एवं वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-1029-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजीव शर्मा, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दिनांक 10 से 22 अप्रैल 2017 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राजीव शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2017

क्र. ई-5-978-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे (2014) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़नगर, जिला उज्जैन को दिनांक 22 से 28 अप्रैल 2017 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29,30 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे (2014) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),बड़नगर, जिला उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे (2014) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे (2014) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2017

क्र. ई-5-479-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को दिनांक 15 फरवरी से 01 अप्रैल 2017 तक, कुल छियालिस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-609-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर को समसंख्यक आदेश दिनांक 27 मार्च 2017 द्वारा दिनांक 17 अप्रैल से 4 मई 2017 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 18 अप्रैल से 5 मई 2017 तक, अठारह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 27 मार्च 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत.

क्र. ई-5-890-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुराग चौधरी, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत झाबुआ को समसंख्यक आदेश दिनांक 27 मार्च 2017 द्वारा दिनांक 6 से 13 अप्रैल 2017 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई.-5-945-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एन. एस. परमार, आयएएस., अपर आयुक्त (राजस्व), भोपाल संभाग, भोपाल को दिनांक 17 से 28 अप्रैल 2017 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एन. एस. परमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व), भोपाल संभाग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एन. एस. परमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. एस. परमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-968-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री सोनिया मीना, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर, जिला छतरपुर को दिनांक 14 से 17 मार्च 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 मार्च 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में सुश्री सोनिया मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सोनिया मीना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई.-5-992-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रवि डफरिया, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08, 09 एवं 14, 15, 16 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवि डफरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2017

क्र. ई-1-119-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तकं, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1	श्री मनोज खत्री, भाप्रसे (2008), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, खरगोन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन का अतिरिक्त प्रभार.
2	श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे (2011), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, रतलाम.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल
3	श्री नीरज कुमार सिंह, भाप्रसे (2012), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, ग्वालियर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सागर
4	श्री स्वरोचिश सोमवंशी भाप्रसे (2012), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, रायसेन.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सिवनी
5	श्री राजीव रंजन मीना, भाप्रसे (2012), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सागर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, देवास
6	श्री आशीष भार्गव, भाप्रसे (2012), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग
7	सुश्री सोनिया मीना, भाप्रसे (2013), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनगर, जिला छतरपुर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर

(1)	(2)	(3)
8	श्री अमनबीर सिंह बैंस, भाप्रसे (2013), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डबरा, जिला ग्वालियर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, रायसेन
9	श्री हर्ष दीक्षित, भाप्रसे (2013) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैहर, जिला बालाघाट.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, छतरपुर
10	श्री ऋषि गर्ग, भाप्रसे (2013), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, श्योपुर.
11	सुश्री रजनी सिंह, भाप्रसे (2013) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बीना जिला सागर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
12	श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे (2013), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नैनपुर, जिला मण्डला.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, रतलाम
13	श्री प्रियंक मिश्रा, भाप्रसे (2013), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सबलगढ़, जिला मुरैना.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सिंगरौली
14	श्री मंयक अग्रवाल, भाप्रसे (2013), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पांढुर्ना, जिला छिन्दवाड़ा.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, रीवा
15	श्री सतीश कुमार एस., भाप्रसे (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा), पचमढ़ी.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, खरगोन
16	श्री फ्रेंक नोबल ए.,भाप्रसे (2013), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सीहोरा, जिला जबलपुर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, कटनी
17	श्री संदीप जी. आर.,भाप्रसे (2013), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महू, जिला इन्दौर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उज्जैन.
18	डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, भाप्रसे (2013) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शुजालपुर, जिला शाजापुर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, पन्ना

क्र. ई-5-774-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजीत कुमार, आयएएस., संचालक, बजट को दिनांक 8 से 19 मई 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 एवं 20, 21 मई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, बजट के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अजीत कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-789-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शिवानंद दुबे, आयएएस., कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना एवं सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार) को दिनांक 17 से 28 अप्रैल 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15, 16, अप्रैल 2017 एवं दिनांक 29, 30 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री शिवानंद दुबे की अवकाश अवधि में श्री शिवनारायण रूपला, भाप्रसे, (2000) आयुक्त, ग्वालियर संभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना एवं सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शिवानंद दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना एवं सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री शिवानंद दुबे द्वारा कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना एवं सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवनारायण रूपला, कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना एवं सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री शिवानंद दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवानंद दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2017

क्र. ई-1-120-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री वी. किरण गोपाल (2008), कलेक्टर, भिण्ड.	मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक) भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
2	श्री इलैया राजा टी. (2009), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	कलेक्टर, भिण्ड	—

(2) उपरोक्तानुसार श्री वी. किरण गोपाल, भाप्रसे (2008) द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे (1994), आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (अतिरिक्त प्रभार) केवल मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2017

क्र. ई-5-930-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री फटिंग राहुल हरिदास, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 27 फरवरी से 1 मार्च 2017 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री फटिंग राहुल हरिदास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फटिंग राहुल हरिदास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव ''कार्मिक''.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2017

क्र. ई-5-930-आयएएस-लीव-5-एक-**संशोधन.**—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अप्रैल 2017 में उल्लेखित ''उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग'' के स्थान पर ''उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग'' पढ़ा जाए.

फजल मोहम्मद, अवर सचिव ''कार्मिक''.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2017

क्र. एफ 1-59-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, छतरपुर द्वारा दिनांक 6 से 13 अप्रैल 2017 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं 14 व 16 अप्रैल 2017 के विज्ञप्त अवकाश की अवधि में परिवार के साथ दुबई के भ्रमण हेतु निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

(2) श्री ललित शाक्यवार, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री बी. के. एस. परिहार, राप्रसे. अति. पुलिस अधीक्षक, छतरपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ललित शाक्यवार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक, छतरपुर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री ललित शाक्यवार, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिक्ति कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री ललित शाक्यवार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ललित शाक्यवार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2017

क्र. एफ-1(ए)212-96-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक नारकोटिक्स, इन्दौर को दिनांक 17 अप्रैल से 27 मई 2017 तक, कुल इकतालीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14, 15, 16 एवं 28 मई 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भा.पु.से. की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एस. पी. सिंह, भापुसे पुलिस उप महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, मुख्यालय इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक नारकोटिक्स, इन्दौर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भा.पु.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भा.पु.से., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2017

क्र. एफ-1(ए)111-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भा.पु.से., अति. पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती), पुलिस मुख्यालय भोपाल को पुलिस मुख्यालय द्वारा दिनांक 12 एवं 13 अप्रैल 2017 के दो दिवस आकस्मिक अवकाश व दिनांक 14, 15 एवं 16 अप्रैल 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्डवर्ष 2014-17 के द्वितीय विस्तार वर्ष 2017 में स्वयं के गृह जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) की गृह नगर अवकाश यात्रा सुविधा के साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है. 10 दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भा.पु.से., का कार्य कार्य श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (कल्याण) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भा.पु.से., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक (चयन/भर्ती) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भा.पु.से., द्वारा अति. पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भा.पु.से., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2017

क्र. एफ. 1(ए) 163-89-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अन्वेष मंगलम्, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 4 से 18 जनवरी 2017 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश के उपभोग पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अन्वेष मंगलम्, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अन्वेष मंगलम्, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्वेष मंगलम्, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2017

शुद्धि-पत्र

फा. क्र. 3(बी)-3-2015-इक्कीस-ब-(एक).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जनवरी 2017 की दूसरी पंक्ति में अंकित "श्री राजू डावर" के स्थान पर "श्री राजू सिंह डावर" पढ़ा जाए.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2017

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)-815-2017.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीश को, उसके कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित अपराधों का स्पेशल टास्क फोर्स, भोपाल, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (क्र 25 सन् 1946) के अधीन, अन्वेषण किये गये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट

अपराधों का विचारण करने के लिए, पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.

सारणी

अनु.	न्यायाधीश का नाम	मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री योगेश कुमार गुप्ता, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, भिण्ड.	भिण्ड

2. यह अधिसूचना व्यापम मामलों के संबंध में एतद्पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अतिरिक्त जारी की जा रही है.

F. No. 1-5-96-XXI-B(One)-815-2017.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Additional Sessions Judges specified in column (2) of the Table below to Special Judge for area specified in the corresponding entry in column (3) thereof to try the cases relating to the offences specified under Section 3 of the said Act in relation to various examinations Conducted by the Madhya Pradesh Professional Examination Board investigated by the Special Task Force, Bhopal, Delhi Police and Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946).

TABLE

S. No.	Name of Judge	Head Quarter
(1)	(2)	(3)
1	Shri Yogesh Kumar Gupta, Special Judge under SC/ST (POA) Act, Bhind.	Bhind

2. This Notification is being issued in addition to the earlier Notification (s) issued in respect of VYAPAM matters.

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2017

फा. क्र. 1670-2017-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री कपिल कुमार मेहता ओ.एस.डी. मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकेदमी, जबलपुर की सेवाएं रजिस्ट्रार उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करन के दिनांक से, आगामी आदेश तक उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2017

क्र. 1790-इक्कीस-ब(दो)2017.—विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का संख्याक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्याक 39) की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. के. सेठ, न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नामांकित करता है.

No. 1790-XXI-B(Two)-2017.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994) the Governor of Madhya Pradesh in consultion with the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh nominates Hon'ble Justice Shri S. K. Seth, Judge, Madhya Pradesh Hight Court as Executive Chairman of Madhya Pradesh State Legal Services Authority with immediate effect.

फा. क्र. 3(ए)01-2017-इक्कीस-ब(एक)-1512.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशगण (वरिष्ठ श्रेणी), को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम-5(1)(ए) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है:—

1. श्रीमती पावस श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मु. न्या. दण्डा., नीमच.
2. श्री रघुवीर प्रसाद पटेल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन.
3. श्री अमित रंजन समाधिया, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर.

4. श्रीमती कुमुदिनी पटेल, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय क्र.-1, भोपाल.

5. श्री विपिन कुमार लवानीया, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल.

6. श्री तनवीर अहमद खान, अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इन्दौर.

7. श्री उमाशंकर अग्रवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मु. न्या. दण्डा., नरसिंहपुर.

8. श्री प्रदीप कुशवाह, डिप्टी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल.

9. श्री अरविंद प्रताप सिंह चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मु. न्या. दण्डा., दतिया.

10. श्री सचिन शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मु. न्या. दण्डा., ग्वालियर.

11. श्री अनुराग द्विवेदी, प्रथम व्य. न्यायाधीश वर्ग-1 के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक दण्डा., दमोह.

12. श्री मनोज कुमार तिवारी, (जुनि.) प्रथम व्य. न्याया. वर्ग-1 एवं मु. न्या. दण्डा., बड़वानी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2017

फा. क्र. 1022, 1704-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय होशंगाबाद के लिए श्री गोविन्द शाह, उप संचालक अभियोजन को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामकुमार चौबे, सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2017

क्र. एफ 5-10-2011-उन्तीस-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर राज्य शासन, एतद्द्वारा, डॉ. अकबर अली आत्मज श्री जाकिर अली, जिला हरदा, मध्यप्रदेश को जिला उपभोक्ता फोरम, हरदा में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसमें से जो भी पूर्वत्तर हो, तक के लिए सदस्य नियुक्त करता है.

2. उक्त सदस्य की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी:—

2.1 सदस्य कार्यभार ग्रहण के उपरान्त प्रत्येक निर्धारित कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे.

2.2 सदस्य के बिना उपयुक्त कारण एवं पूर्व सूचना के फोरम की बैठक में लगातार पांच बार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकेगा.

2.3 सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

2.4 सदस्य को राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं भत्ते देय होंगे.

2.5 सदस्य पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे.

2.6 संबंधित जिले के अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा उक्त सदस्य के चरित्र सत्यापन के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2017

क्रमांक एफ–3–87/2013/बत्तीस:– म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23–क की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की सूचना क0 एफ–3–87/2013/बत्तीस दिनांक 21.06.2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा 2 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार प्रकाशित कटनी विकास योजना 2021 में उल्लेखित शर्तों के साथ निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरा निम्नानुसार है :–

उपांतरणों का विवरण

क्र.	विकास योजना का प्रावधान जिसे उपांतरित किया गया है एवं उपांतरित प्रावधान का विवरण
1.	**अध्याय–6 विकास नियमन:** 1. नगर के विकास को प्रस्तावित भूउपयोग अनुरूप व्यवस्थित करने हेतु विकास नियंत्रण आवश्यक है। अन्य मापदंड यथा नियमन जिनका उल्लेख इस विकास योजना में नही किया गया है, वे म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के अनुरूप होंगे। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है।** **अध्याय–6 विकास नियमन:** 1. नगर के विकास को प्रस्तावित भूउपयोग अनुरूप व्यवस्थित करने हेतु विकास नियंत्रण आवश्यक है। अन्य मापदंड यथा नियमन जिनका उल्लेख इस विकास योजना में नही किया गया है, वे म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रचलित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।
2.	**6.4 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन** **(8).** निम्न श्रेणी आवास समूह के लिये अभिन्यास म.प्र. भूमिविकास नियम 1984 के अनुसार तैयार किया जावेगा। परिशिष्ट 'एम' नियम (94) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषत: अल्प आय वर्ग के अभिन्यास तैयार किये जाना चाहिये।

	उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है। **6.4 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन** **(8).** निम्न श्रेणी आवास समूह के लिये अभिन्यास म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रचलित नियम अनुसार मान्य होंगे।
3.	**सारणी 6–सा–2 के नीचे नोट** (2). सारणी के अनुक्रमांक 1 से 4 में दर्शाये भूखंड 6 मीटर चौडे मार्ग पर स्थित होने की दशा में इस पर दो मंजिल आवास निर्माण अनुज्ञेय होगे। (3). सारणी के अनुक्रमांक 9 से 13 में दर्शाये भूखंड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहुइकाई भूखंडीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है । ऐसे भूखंडो पर स्वीकार्य आवासीय इकाईयों की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 82 द्वारा अधिशासित होंगे। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है।** **सारणी 6–सा–2 के नीचे नोट** (2). सारणी के अनुक्रमांक 1 से 4 में दर्शाये भूखंड 7.5 मीटर चौडे मार्ग पर स्थित होने की दशा में इस पर दो मंजिल आवास निर्माण अनुज्ञेय होगे। (3). सारणी के अनुक्रमांक 9 से 13 में दर्शाये भूखंड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहुइकाई भूखंडीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है। बहुइकाई विकास हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 56 अनुरूप विकास के प्रकरणों पर एम.ओ.एस. रखे जा सकते है और इन भूखंडों क समक्ष 12 मीटर चौडे मार्ग होना चाहिये। ऐसे भूखंडों पर स्वीकार्य आवासीय इकाईयों की गणना, प्रति व्यक्ति हेतु आवश्यक निर्मित क्षेत्र 12.5 वर्ग मीटर की दर से यथा प्रति आवासीय इकाई में व्यक्तियों की संख्या 5 के मान से की जावेगी।
4.	**सारणी 6–सा–2 के नोट (7) के नीचे** (1). भूतल के नीचे बेसमेंट शासन निर्देशों के अनुरूप स्वीकार्य होगा, जो कि अधिकतम स्वीकार्य भूतल आच्छादन क्षेत्र के समतुल्य होगा एवं इसकी गणना फर्शी क्षेत्र अनुपात में नही की जावेगी। (2). निर्धारित एफ.ए.आर. के अतिरिक्त 250 वर्गमीटर से अधिक एवं 500 वर्गमीटर तक के भूखंडों में अधिकतम एक कर्मचारी आवास तथा 500 वर्गमीटर से अधिक के भूखंडों में दो कर्मचारी आवास स्वीकृति योग्य होगे। इसका स्वीकृति प्राप्त करते समय स्पष्ट उल्लेख किया जावे। (3). एक कर्मचारी आवास का अधिकतम आकार 20 वर्गमीटर होगा। जिसमें एक रहवासी कमरा 11 वर्गमीटर फर्शीक्षेत्र का होगा। इसके अतिरिक्त ऐसी आवासीय

	इकाई में कुकिंग, बरांडा, बाथरूम एवं शौचालय होना आवश्यक होगा। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है।** **सारणी 6–सा–2 के नोट (7) के नीचे** (1). भूतल के नीचे बेसमेंट म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 76 के अनुरूप स्वीकार्य होगा। (2). कर्मचारी आवास, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 61 की सारणी के टिप्पणी (3) अनुरूप मान्य होगा। (3). कर्मचारी आवास, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 2(30) सहपठित नियम 2(26) तथा नियम 61 की टिप्पणी (3) के प्रावधान अनुसार मान्य होगे।
5.	**6.4.2 समूह आवास** समूह आवास परियोजना हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधान अनुसार मापदंड लागू होगे। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है।** **6.4.2 समूह आवास** समूह आवास परियोजना हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 60 एवं आवश्यकता अनुरूप नियम 42 के प्रावधान अनुसार मापदंड लागू होगे। किंतु इस बाबत् भूमि/भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर तथा ऐसे भूखंड/भूमि न्यूनतम 15 मीटर चोडे मार्ग से लगकर स्थित होना चाहिये।
6.	**6.4.3 वन आवास (फार्म हाउस) :–** विकास योजना में प्रस्तावित विकसित क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र सीमा के मध्य कृषि क्षेत्र में कृषक के निजी रहवास हेतु निर्मित क्षेत्र एवं कृषि फार्म संबंधी अन्य गतिविधिया, आच्छादित क्षेत्र आदि फार्म हाउस के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता है इसके मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :– 1. भूखण्ड का न्यूनतम आकार 4045 वर्गमीटर होगा। 2. अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात 0.10 अनुज्ञेय होगा। 3. ढलुआ छत सहित संरचना (निर्माण) की अधिकतम उंचाई 6.5 मीटर होगी। 4. वन आवास के भूखण्ड में न्यूनतम 200 जीवित वृक्ष प्रति 445 वर्गमीटर में प्राधिकारी के भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक द्वारा वृक्षारोपण करवाना होगा जिनका विकास एवं संरक्षण का दायित्व आवेदक का

होगा।

5. वन आवास केवल उसी क्षेत्र पर अनुज्ञेय होगा जिसकें लिये सार्वजनिक मार्ग(सड़क) द्वारा पहुॅच उपलब्ध हो अथवा क्षेत्र का अभिन्यास संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल द्वारा अनुमोदित हो।

6. वन आवास में सभी ओर से न्यूनतम 10 मीटर खुला क्षेत्र होगा।

अन्य शर्ते निम्नानुसार है :–

अ. आवासीय/आच्छादित क्षेत्र का (वन आवास) बाढ़ से कम सेटबैक 15 मीटर रहेगा।

ब. यदि वन आवास पक्की सड़क पर स्थित हो तो ऐसी दशा में बाढ़ से 22 मीटर का सेटबैक रखा जावेगा तथा ग्रामीण सड़क पर यदि वन आवास हो तो उस मार्ग के मध्य से 30 मीटर जगह खुली रखी जावेगी।

स. वन आवास यदि राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित हो ता राष्ट्रीय मार्ग की सीमांत रेखा से 30 मीटर तक कोई निर्माण नही होगा।

द. जिन क्षेत्रों की ढलान जलाशय, नदी, पेयजल स्त्रोत, जल संग्रहण एवं जल वितरण केंद्र की ओर हो, वहा उक्त से 5 किमी तक फार्म हाउय प्रतिबंधित रहेंगे यही शर्त प्राकृतिक ढलानों पर स्थित भूमि के लिय भी लागू मानी जावेगी।

ई. फार्म हाउस के लिये पहुंच मार्ग कम से कम 13 मीटर का रहेगा। किंतु जब एक ही पहुच मार्ग एक से अधिक फार्म हाउस के उपयोग में हो तो पहुंच मार्ग की चौडाई कम से कम 18 मीटर होगी। पहुंच मार्ग काा निर्माण संयुक्त प्रयासी हो सकता है।

फ. फार्म हाउस में भवन/आच्छादित क्षेत्र/मार्ग आदि की संख्या तथा आवश्यकतानुसार समन्वित योजना नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा तैयार/अनुमोदित की जावेंगी।

ग. किसी भी कृषि भूमि का भू–स्वामी उक्त मापदण्डो के अनुरूप फार्म हाउस के रूप में विकसित करनें के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश से अनुज्ञा प्राप्त करेगा।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है।

6.4.3 वन आवास (फार्म हाउस) :–

निवेश क्षेत्र में वन आवास (फार्म हाउस) के मानक म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होगें।

7.	**सारणी 6–सा–3 के नीचे टीप** (2). उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्रों मे तलघर, म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञेय होगा। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है।** **सारणी 6–सा–3 के नीचे टीप** (2). उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्रों मे तलघर, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 76 के प्रावधानों के अनुरूप मान्य होंगे।
8.	**6.6 ईंधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र** (1). मार्ग संगम से न्यूनतम दूरी अ. 30 मीटर से कम मार्गाधिकार वाले मार्गो हेतु – 150 मीटर ब. 30 मीटर या इससे अधिक मार्गाधिकार वाले मुख्य मार्गो हेतु – 250 मीटर (2). 30 मीटर से कम मार्गाधिकार वाले मार्गो के मध्य से पेट्रोल पम्प के भवन की दूरी कम से कम 15 मीटर होना आवश्यक है जबकि 30 मीटर या उससे अधिक मार्गाधिकार वाले मार्गो को दर्शाये मार्गाधिकार सुरक्षित रखे जाये। (3). मार्गो के मध्य से पेट्रोल पम्प पेडस्ट्रल की दूरी भारतीय सड़क कांग्रेस के मानको के अनुसार होना आवश्यक है। (4). न्यूनतम भूखंड आकार – अ. केवल ईंधन भराव केन्द्र 30 X 17 मीटर ब. ईंधन भराव–सह–सेवा केन्द्र न्यूनतम आकार 36 X 30 मीटर एवं अधिकतम 45 X 33 मीटर स. भूखंड का अग्र भाग 30 मीटर से कम नही होना चाहिये। द. भूखंड का लम्बा एवं मार्ग से लगा भाग अग्र भाग होना चाहिये। ई. 18 मीटर से कम मार्गाधिकार वाले मार्ग पर नये पेट्रोल पम्प निषिद्ध होंगे। अन्य प्रावधान म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के अनुसार होगे। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है।** **6.6 ईंधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र** ईंधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र के मापदंड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के

	नियम 53 (3)(चार) के प्रावधान अनुरूप मान्य होगे।
9.	**6.6.1(ई) छविगृहों के लिए मापदण्ड** **मार्ग की चौड़ाई :** छविगृह का भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित होगा, उसकी चौड़ाई 18.00 मीटर से कम नहीं होगी। **आवश्यक क्षेत्र :** 2.3 वर्ग मीटर प्रति कुर्सी की दर से आवश्यक क्षेत्र की गणना की जावें। **भूखण्ड का निर्मित क्षेत्र :** 800 मीटर तक के लिये अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत स्वीकार्य होगा एवं उससे अधिक क्षमता के छवि गृह के लिये अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 33 प्रतिशत स्वीकार्य होगा। खुला क्षेत्र : अग्र भाग – 15 मीटर आजू/बाजू – 4.5 मी./4.5 मीटर पार्श्व – 4.5 मीटर **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है।** **6.6.1(ई) छविगृहों के लिए मापदण्ड** छविगृहों के लिए मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 नियम 53(3)दो के अनुरूप होंगे।
10.	**कंडिका 6.6.1 के नीचे सामने उल्लेखित कंडिका अंतःस्थापित की जाती है ।** कंडिका 6.6.2 होटल हेतु मापदंड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 तथा 57 के अनुरूप होगे। सामान्य ऊंचाई के भवनों मे ऊंचाई 12.5 मीटर मान्य होगी। किंतु 12.5 मीटर से अधिक उंचाई वाले भवनों की अनुज्ञा नियम 42 के अनुसार प्रदान की जा सकती है। कुल अनुमत निर्मित क्षेत्र का 5 प्रतिशत होटल गतिविधियों से संबंधित वाणिज्यिक भूउपयोग में लाया जा सकेगा। वाहन विराम स्थल हेतु प्रावधान – म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 अनुरूप होंगे।

11.	**6.7 औद्योगिक विकास मानक** औद्योगिक क्षेत्र के अभिन्यास मानक निम्नानुसार अनुशंसित है – 1. भूखण्ड का क्षेत्र – अधिकतम 60 प्रतिशत 2. मार्गों, वाहन विराम एवं खुले क्षेत्र – न्यूनतम 30 प्रतिशत 3. दुकानों एवं अन्य सेवा सुविधाओं हेतु – न्यूनतम 10 प्रतिशत औद्योगिक विकास हेतु भूमि विकास नियम 1984 के नियम 48(1)(2) के अनुसार ही आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है।** **6.7 औद्योगिक विकास मानक** औद्योगिक क्षेत्रों का विकास मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 48 के प्रावधान अनुरूप मान्य होगे। भूखंडो को पहुंच प्रदान करने वाले मार्गो की चौडाई 15 मीटर होना चाहियें।
12.	6.8 सामाजिक अद्योसंरचना के मानक सारणी 6–सा–6 एवं 6–सा–7 के प्रावधान सारणी सहित। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है।** 6.8 सामाजिक अद्योसंरचना के मानक सामाजिक अद्योसंरचना के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(1) के अनुरूप मान्य होगे।
13.	6.13 उपयोग परिसर में स्वीकृत उपयोग, उपयोग गतिविधियां (11). स्थानीय दुकाने – फुटकर, दुरस्ती एवं व्यक्तिगत सेवा दुकाने, वाणिज्यिक कार्यालय, म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 में उल्लेखित उद्योग, उपचार प्रयोगशाला, क्लिनिक एवं पॉलिक्लिनिक, रेस्टॉरेंट, शीतल पेय एवं स्नेक्स बार, डाकघर एवं बैंक एक्सटेंशन काउंटर, नर्सिंग होम एवं अतिथि गृह। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है।** 6.13 उपयोग परिसर में स्वीकृत उपयोग, उपयोग गतिविधियां (11). स्थानीय दुकाने – फुटकर, दुरस्ती एवं व्यक्तिगत सेवा दुकाने, वाणिज्यिक कार्यालय, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में उल्लेखित उद्योग, उपचार प्रयोगशाला, क्लिनिक एवं पॉलिक्लिनिक, रेस्टॉरेंट, शीतल पेय एवं स्नेक्स बार, डाकघर एवं बैंक

	एक्सटेंशन काउंटर, नर्सिंग होम एवं अतिथि गृह।
14.	**6.15 विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रकिया** 1. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के अंतर्गत नियम 17 के अंतर्गत निर्धारित अनुज्ञा प्रपत्र में अनुज्ञा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहियें जिसमें नियम 17 में जानकारी का समावेश हो। 12. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप विकास/निवेश अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा। आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिए। 14. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 की धारा 49(3) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित करें। **टीपः–2** भूमि विकास/निवेश अनुज्ञा संबंधी नियम मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना चाहिए। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है।** **6.15 विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रकिया** 1. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानो अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन नियम 14 के प्रारूप तथा नियम 16 में उल्लेखित आवश्यक जानकारी सहित प्रस्ततु करना होगा। 12. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप विकास/अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा। आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिए। 14. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम धारा 49(4) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित करें। **टीपः–2** भूमि विकास/निवेश अनुज्ञा संबंधी नियम मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना होगा।
15.	**6.16 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया –** मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 49(3) के प्रावधानों के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न जानकारी की आवश्यकता होगी – **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है।**

	6.16 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया – मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(4) के प्रावधानों के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न जानकारी की आवश्यकता होगी ।
16.	**अध्याय–7** **योजना क्रियान्वयन** भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 एवं म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में निहित है। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है।** **अध्याय–7 योजना क्रियान्वयन** भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी अनेक प्रावधान म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 एवं म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में निहित है।
17.	**7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति** 5(स) राज्य आवास नीति 1995 के तहत भूमि विकास 11 ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र में भूखण्ड का आकार मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम–53 (1) एवं (2) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहां कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित होगा। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है।** **7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति** 5(स) आवास एवं पर्यावास नीति 2007 के तहत भूमि विकास 11 ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र में भूखण्ड का आकार मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम–53(1) (एक)(दो) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहां कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित होगा।
18.	**7.5.1 नियंत्रित विकास** विकास कार्यक्रमों में भूमिस्वामी, विकासकर्ता सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जायेगा। जहां समन्वयक संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थायें, प्रमुख सेवा तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी। परिसीमन विकास, आवास नीति 1965 में उल्लेखित विकास संस्था के द्वारा किया जावेगा। इस प्रकार बड़े भूमि क्षेत्र का आवंटन

	परिसीमन अधोसंरचना की सुगमता के अनुकूल राज्य आवास नीति 1995 के परिपेक्ष्य मे गृह निर्माण संस्थाओं, आवास संघों एवं निजी विकास कर्ताओं द्वारा किया जावेगा। उक्त व्यवस्था पर राज्य शासन द्वारा परीक्षण कर अनुमोदन की आवश्यकता होगी। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है।** **7.5.1 नियंत्रित विकास** विकास कार्यकमों में भूमिस्वामी, विकासकर्ता सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जायेगा। जहां समन्वयक संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थायें, प्रमुख सेवा तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी। परिसीमन विकास, आवास एवं पर्यावास नीति 2007 में उल्लेखित विकास संस्था के द्वारा किया जावेगा। इस प्रकार बड़े भूमि क्षेत्र का आवंटन परिसीमन अधोसंरचना की सुगमता के अनुकूल आवास एवं पर्यावास नीति 2007 के परिपेक्ष्य मे गृह निर्माण संस्थाओं, आवास संघों एवं निजी विकास कर्ताओं द्वारा किया जावेगा। उक्त व्यवस्था पर राज्य शासन द्वारा परीक्षण कर अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
19.	**7.6 भूमि विकास नीति** भूमि प्रदाय को बढ़ाने के लिये राज्य नीति, 1995 में भू–स्वामियों को निम्न प्रबोधन दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है।** **7.6 भूमि विकास नीति** भूमि प्रदाय को बढ़ाने के लिये आवास एवं पर्यावास नीति 2007 में भू–स्वामियों को निम्न प्रबोधन दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

2. उपरोक्त उपांतरण कटनी विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2017

क्र. एफ-6-2-2016-अट्ठावन.—प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत उद्यानिकी फसलों के लिये मौसम आधारित फसल बीमा योजना के खरीफ 2016 से रबी 2018-19 के क्रियान्वयन हेतु जारी विभागीय अधिसूचना 4 जुलाई 2016 एवं 27 जुलाई 2016 के अनुक्रम में चयनित बीमा कम्पनियों द्वारा प्रदेश के 51 जिलों में रेवेन्यू सर्कल अन्तर्गत 10 से 15 किलोमीटर की त्रिज्या में स्थापित किये गये स्वचलित मौसम केन्द्र की सूची परिशिष्ट-5 अनुसार अधिसूचित की जाती है. बीमा कम्पनियां निम्न निर्देशों का पालन करेगी :—

1. स्वचलित मौसम केन्द्र के रख-रखाव हेतु मौसम केन्द्र स्थापित करने वाली कम्पनी एक मेकेनिक/आपरेटर की सेवाएं उपलब्ध करावेगी जो सम्पर्क करने पर उपस्थित होकर देखरेख करेगा व खराब होने पर 48 घण्टे के भीतर सुधार या बदलेगा.

2. प्रत्येक स्वचलित मौसम केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की मैपिंग सूची विभाग की बेवसाइट www.mphorticulture.gov.in पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है.

3. किसी भी मौसम केन्द्र में गड़बड़ी आने पर या योजना के दिशा-निर्देशों व घोषणा/प्रमाण पत्र या दावा भुगतान प्रक्रिया में गड़बड़ी पाये जाने पर मौसम केन्द्र स्थापित करने वाली कम्पनी एवं बीमा कम्पनी संबंधित के लिये जिम्मेदार होगी.

4. रेवेन्यू सर्कल के अन्तर्गत यदि कोई ग्राम किसी भी स्वचलित मौसम केन्द्र के अन्तर्गत ग्रामों की मैपिंग में शामिल नहीं हुआ है तो उस ग्राम के नजदीकी मौसम केन्द्र का डाटा उपयोग किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

रायसेन, दिनांक 21 फरवरी 2017

क्र. 1777.—मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2(क)-09-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर नव निर्मित थाना/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर्स को अधिसूचना जारी करने के लिये पदेन उपसचिव भी घोषित किया गया है.

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ-2(क)-10/2015 बी-3-दो, दिनांक 23 नवम्बर 2016, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2 द्वारा नवीन औद्योगिक क्षेत्र थाना सतलापुर की स्थापना के लिये पदों का सृजन किये जाने से नवीन पुलिस थाना की स्थापना की जाना है.

अतएव भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (एस) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाने में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विर्निदिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना की तारीख से,—

(1) नीचे दी गई सारणी में कालम (2) में उल्लेखित थाने से सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती है और

(2) सतलापुर जो जिला रायसेन के थाना मण्डीदीप एवं तहसील गौहरगंज अन्तर्गत है को नवीन औद्योगिक क्षेत्र थाना सतलापुर घोषित करती है एवं कालम (3) में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उक्त पुलिस थाना में सम्मिलित करती है :—

सारणी विवरण

क्रमांक	उस पुलिस थाना का नाम तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र का नाम
(1)	(2)	(3)
1	पुलिस थाना मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन	सतलापुर
2	–''–	लोरका पिपरिया
3	–''—	टीलाखेडी
4	–''–	मोजपुरा
5	–''–	राहुलनगर
6	–''–	झलारकलॉ
7	–''–	खनपुरा
8	–''–	नयापुरा
9	–''–	बैरासिया
10	–''–	संराकिया
11	–''–	सिमराई
12	–''–	शोभापुर

क्र. 1778.—मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2(क)-09-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर नव निर्मित थाना/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर्स को अधिसूचना जारी करने के लिये पदेन उपसचिव भी घोषित किया गया है.

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ-2(क)-10/2015 बी-3-दो, दिनांक 23 नवम्बर 2016, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2 द्वारा नवीन चौकी छींद, थाना बरेली, जिला रायसेन की स्थापना के लिये पदों का सृजन किये जाने से नवीन पुलिस चौकी की स्थापना की जाना है.

अतएव भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (एस) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाने में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना की तारीख से,—

(1) नीचे दी गई सारणी में कालम (2) में उल्लेखित थाने से सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती है और

(2) ''छींद'' जिला रायसेन थाना बरेली अन्तर्गत है को नवीन चौकी छींद घोषित करती है एवं कालम (3) में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उक्त पुलिस थाना में सम्मिलित करती है :—

सारणी विवरण

क्रमांक	उस पुलिस थाना का नाम तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र का नाम
(1)	(2)	(3)
1	पुलिस थाना बरेली, तहसील बरेली, जिला रायसेन	छींद
2	–''–	किनगी

(1)	(2)	(3)
3	पुलिस थाना बरेली, तहसील बरेली, जिला रायसेन	भौडिया
4	–''–	नयागांव खुर्द
5	–''–	रजवाड़ा
6	–''–	टोंगा
7	–''–	बम्होरी बलीराम
8	–''–	सिमरिया
9	–''–	दियाखेड़ी
10	–''–	बैगनियां
11	–''–	जीरावाड़ा
12	–''–	सलैया
13	–''–	बनियाखेड़ी
14	–''–	छबारा
15	–''–	जोहरबरहा
16	–''–	अमरावद
17	–''–	बम्होरी बलीराम
18	–''–	भोडिया
19	–''–	नयागांव
20	–''–	केलकच्छ

भावना वालिम्बे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, जिला रलताम (मध्यप्रदेश)

रतलाम दिनांक 28 फरवरी 2017

क्र. 437–रीडर–1–17.—पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक पु.मु.–18–योजना–21–17, दिनांक 16 जनवरी 2017 द्वारा पुलिस समेकित बलवृद्धि के अंतर्गत नवीन थाना/चौकियों की स्थापना के संबंध में रतलाम जिले में नवीन पुलिस चौकी धामनोद की स्थापना हेतु थाना सैलाना के निम्नांकित ग्राम/मोहल्ले नवीन पुलिस चौकी धामनोद के क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है :—

क्रमांक	ग्राम/मोहल्ले का नाम	वर्तमान थाने का नाम
(1)	(2)	(3)
1	धामनोद	पुलिस थाना सैलाना
2	खोखरा	–''–
3	दिवेल	–''–
4	केसरपुरा (दिवेल मजरा)	–''–
5	भैसाडाबर	–''–
6	बोदिना	–''–
7	खेड़ी	–''–

अत:, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973/1974 की धारा 2 के खण्ड (एस) के अनुरूप प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर दिनांक 1 मार्च 2017 से उक्त नवीन पुलिस चौकी धामनोद अधिसूचित किया जाता है, जो कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2, खण्ड–एस के अनुसार स्थापित पुलिस चौकी के रूप में उक्त दिनांक से क्रियाशील रहेगा.

बी. चंद्रशेखर, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 14 फरवरी 2017

क्र. मंडी निर्वा.-2016-17-76.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. संजय गोयल, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि मंडी (लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन) नियम 2010 के अन्तर्गत ग्वालियर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिये एतद्द्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :—

क्रमांक	मंडी का नाम	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता	मंडी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कृषि उपज मंडी समिति, लश्कर, ग्वालियर	श्री इसरार हुसैन, निवासी ग्राम सिगौरा	मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) (घ)

संजय गोयल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 1 मार्च 2017

क्र. 3913-SC.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रम 04 नियम 08 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक-एम-3-23-1999-एक-चार-दिनांक 30 मार्च, 1999 के तहत मैं, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर, जिला धार, वर्ष 2017 के लिये धार जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार उनके सम्मुख दर्शाई तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

अ. क्र.	त्यौहार का नाम	तिथि एवं वार	दिनांक	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5
1	रंगपंचमी	फाल्गुन शुक्ल पक्ष-5, शुक्रवार	17-03-2017	संपूर्ण धार जिले के लिए
2	श्री शंकर सवारी (छबीना) का दूसरा दिन.	भाद्र कृष्ण पक्ष-14, मंगलवार	22-08-2017	संपूर्ण तहसील बदनावर के लिए
3	अन्तचतुदर्शी का दूसरा दिन.	भाद्र शुक्ल पक्ष-15, बुधवार	06-09-2017	संपूर्ण धार जिले के लिए
4	उर्स	पौष कृष्ण-09, शुक्रवार	15-12-2017	तहसील बदनावर को छोड़कर संपूर्ण धार जिले के लिए.

उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय, उप कोषायलय पर लागू नहीं होंगे.

श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर.

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल
कक्ष-मानव संसाधन विकास, सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2017

क्र. मासंवि-सामान्य-405.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-10-1-2015-एक-9, दिनांक 27 मार्च 2015 के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश संवर्ग के सहायक वन संरक्षकों एवं वनक्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 28 से 31 जनवरी 2017 तक आयोजित की गई, जिसमें वनक्षेत्रपालों के लिये दिनाक 28 जनवरी 2017 को प्रथम प्रश्न पत्र-प्रक्रिया, दिनांक 29 जनवरी 2017 को द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा, दिनांक 30 जनवरी 2017 को तृतीय प्रश्न पत्र-सामान्य विधि एवं सहायक वन संरक्षकों के लिये दिनांक 28 जनवरी 2017 को प्रथम प्रश्न पत्र-वन विधि, दिनांक 29 जनवरी 2017 द्वितीय प्रश्न पत्र-सामान्य विधि, दिनांक 30 जनवरी 2017 को तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा पर लिखित परीक्षा सम्पन्न हुई थी. उपरोक्त विभागीय परीक्षा में सम्मिलित हुये निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

वनक्षेत्रपालों की विभागीय परीक्षा का परिणाम

अनु. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	विषय (4)
		भोपाल संभाग	
1	श्री हीरालाल सनोडिया	वनक्षेत्रपाल	प्रथम प्रश्न पत्र-प्रक्रिया
		जबलपुर संभाग	
3	श्री महेन्द्र कुमार पालेचा	वनक्षेत्रफाल	प्रथम प्रश्न पत्र-प्रक्रिया

सहायक वन संरक्षकों की विभागीय परीक्षा का परिणाम

अनु. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	विषय (4)
		भोपाल संभाग	
1	श्री अभिषेक तोमर	भारतीय वन सेवा प्रशिक्षु	प्रथम प्रश्न पत्र-वन विधि द्वितीय प्रश्न पत्र-सामान्य विधि तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा
2	श्री एन. के. जोशी	सहायक वन संरक्षक	प्रथम प्रश्न पत्र-वन विधि
3	श्री संजय कुमार जैन	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय प्रश्न पत्र-सामान्य विधि तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा
4	श्री अभिनव पल्लव	भारतीय वन सेवा प्रशिक्षु	प्रथम प्रश्न पत्र-वन विधि द्वितीय प्रश्न पत्र-सामान्य विधि तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा
5	श्री सुनील कुमार वर्मा	वनक्षेत्रपाल	प्रथम प्रश्न पत्र-वन विधि
6	श्री रघुवंश कुमार सिंह	वनक्षेत्रपाल	प्रथम प्रश्न पत्र-वन विधि द्वितीय प्रश्न पत्र-सामान्य विधि
7	श्री हीरालाल सनोडिया	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय प्रश्न पत्र-सामान्य विधि

(1)	(2)	(3)	(4)
		इंदौर संभाग	
1	श्री सुधांशु यादव	भारतीय वन सेवा प्रशिक्षु	प्रथम प्रश्न पत्र-वन विधि द्वितीय प्रश्न पत्र-सामान्य विधि तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा
2	सुश्री शर्मिला झिल्वे	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय प्रश्न पत्र-सामान्य विधि तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा
3	सुश्री प्रीती परमार	वनक्षेत्रपाल	प्रथम प्रश्न पत्र-वन विधि द्वितीय प्रश्न पत्र-सामान्य विधि तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा
		जबलपुर संभाग	
1	श्री अंकुर अवधिया	भारतीय वन सेवा प्रशिक्षु	प्रथम प्रश्न पत्र-वन विधि
2	श्री प्रमोद सिंह	सहायक वन संरक्षक प्रशिक्षु	तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा
3	श्रीमती मनीषा पुरवार	सहायक वन संरक्षक	प्रथम प्रश्न पत्र-वन विधि तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा
4	श्री शिशुपाल अहिरवार	वनक्षेत्रपाल	प्रथम प्रश्न पत्र-वन विधि

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2017

क्र. मासंवि-सामान्य-427.—सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-10-1-2015-एक-9, दिनांक 27 मार्च 2015 के परिप्रेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 25-28 जुलाई 2016 तक आयोजित की गई, जिसमें वनक्षेत्रपाल के लिये दिनांक 25 जुलाई 2016 को प्रथम-प्रक्रिया, दिनांक 26 जुलाई 2016 को द्वितीय-लेखा, दिनांक 27 जुलाई 2016 को तृतीय-सामान्य विधि एवं सहायक वन संरक्षक के लिये दिनांक 25 जुलाई 2016 को प्रथम-वन विधि, दिनांक 26 जुलाई 2016 को द्वितीय-सामान्य विधि तथा दिनांक 27 जुलाई 2016 को तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा विषयों पर सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

वनक्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम

अनु. क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	विषय
(1)	(2)	(3)	(4)
		भोपाल संभाग	
1	श्री बृजेन्द्र सिंह जावरिया	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
2	श्री अरविन्द्र चौहान	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
3	श्री घनेन्द्र वैद्य	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
4	श्री एम. एल. मिश्रा	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
5	श्री के. के. यादव	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
6	श्री आर. के. नामदेव	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
7	श्री पी. के. सिंह	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
8	श्री आर. पी. अहिरवार	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
9	श्री एम. एस. वाडिवा	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
10	श्री घनेन्द्र वैद्य	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय लेखा
11	श्री एम. एल. मिश्रा	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा

(1)	(2)	(3)	(4)
12	श्रीमती प्रीती काकोड़िया	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
13	श्री आर.बी. यादव	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
14	श्री के. के. यादव	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
15	श्री गोपाल सिंह	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
16	श्री आर. के. लिल्होरे	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
17	श्री एम. के. श्रीवास्तव	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
18	श्री आर. एन. खरे	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
19	श्रीमती तारिका मौर्य	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
20	श्री बृजेन्द्र सिंह जावरिया	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
21	श्री घनेन्द्र वैद्य	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
22	श्री एम. एल. मिश्रा	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
23	श्री आर. बी. यादव	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
24	श्री के. के. यादव	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
25	श्री एम. के. श्रीवास्तव	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
		ग्वालियर संभाग	
26	श्री जय प्रकाश मिश्रा	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
27	श्री जय प्रकाश मिश्रा	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
28	श्री आनंद शिवहरे	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
29	श्री जय प्रकाश मिश्रा	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
		जबलपुर संभाग	
30	श्रीमती सोनम गड़पाल	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
31	श्रीमति मनीषा कौरव	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
32	श्रीमती भावना शर्मा	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
33	श्री आर. पी. मिश्रा	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
34	श्री एस. एस. मरावी	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
35	श्री डी. पी. मिश्रा	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
36	श्री अमर सिंह मरावी	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
37	श्री पप्पू सिंह वास्केल	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
38	श्री डी. पी. कुशरो	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
39	श्री ए. एस. धुर्वे	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
40	श्री बी. एल. मरावी	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
41	श्री एम. के. मेहरा	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
42	श्री आर. सिंह	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
43	श्री एम. एस. उइके	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
44	श्री पप्पू सिंह वास्केल	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि

(1)	(2)	(3)	(4)

सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम

भोपाल संभाग

1	श्रीमती दीपिका मिंज	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
2	श्री देवेन्द्र कुमार अहिरवार	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
3	श्री प्रमोद चोपड़े	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय-सामान्य विधि
4	श्रीमती प्रीती काकोड़िया	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
5	श्रीमती दीपिका मिंज	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
6	श्री शिवपाल पिपरदे	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
7	श्री रघुवंश कुमार सिंह	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
8	श्री देवेन्द्र कुमार अहिरवार	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
9	श्री मनोज कुमार जाटव	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
10	श्री सुनील कुमार वर्मा	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा

ग्वालियर संभाग

11	श्री पी. डी. पचौरी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
12	श्रीमती जया पाण्डेय	सहायक वन संरक्षक	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा.
13	श्री आनंद शिवहरे	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
14	श्री पी. डी. पचौरी	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा

जबलपुर संभाग

15	प्रीति शाक्या	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
16	श्री प्रदीप श्रीवास्तव	उप प्रबंधक	प्रथम-वन विधि
17	श्री अंकुर अवधिया	परिवीक्षाधीन भा.व.से.	द्वितीय-सामान्य विधि
18	प्रीति शाक्या	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
19	श्रीमती मनीषा कौरव	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
20	श्री अवधेश धाकड़	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
21	श्री अंकुर अवधिया	परिवीक्षाधीन भा.व.से.	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
22	प्रीति शाक्या	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
23	श्रीमती सोनम गड़पाल	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
24	श्री विपिन कुमार पटेल	प्रशिक्षु भा. व. से.	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
25	श्री प्रदीप मिश्रा	प्रशिक्षु भा. व. से.	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
26	श्री इदेश अचाले	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
27	श्री शिशुपाल अहिरवार	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
28	श्रीमति मनीषा कौरव	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा

ए. के. जैन, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रकरण क्रमांक 48-अ-82-2015-2016/12852 राजगढ़, दिनांक 3 अप्रैल 2017

(अंतर्गत धारा–19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम कराड़िया के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं.30 सन् 2013) की धारा–19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

–: अनुसूची :–

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :– ग्राम कराड़िया

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	भंवरलाल, कमलसिंह पिता गोरीलाल जाति बंजारा	31/1/1	0.360	0.360
		33/2	0.013	0.013
		47/7/1	0.379	0.379
	योग	3	0.752	0.752
2	कालू पिता मानसिंह जाति बंजारा	31/1/2	0.036	0.036
		33/1	0.013	0.013
		47/7/2	0.380	0.380
	योग	3	0.429	0.429
3	भंवरीबाई पिता भागीरथ जाति बंजारा	31/2	0.010	0.010
	योग	1	0.010	0.010
4	रोड़या, जमनीबाई, गेंदीबाई पिता अमरा जाति बंजारा	34	0.038	0.038
		36	0.013	0.013
	योग	2	0.051	0.051
5	सैयद राहतअली पिता सैयद रहमत अली जाति मुसलमान नि.ग्राम राजगढ़	37/2	0.104	0.104
	योग	1	0.104	0.104
6	भंवरलाल पिता गोरीलाल, सीताबाई पिता गोरीलाल, मीराबाई बेवा गोरेलाल जाति बंजारा	37/6	0.100	0.100
	योग	1	0.100	0.100
7	रूगनाथ पिता हरचंद जाति भोई नि.ग्राम भू–स्वामी	47/6/2	0.068	0.068
	योग	1	0.068	0.068

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
8	मोहन पिता हरचंद जाति भोई	40/7	0.019	0.019
	योग	1	0.019	0.019
9	श्रीमति नजमा हाजमी पति सैयद मोहम्मद अली जाति मुसलमान	43	2.206	2.206
	योग	1	2.206	2.206
10	तेजसिंह, मानसिंह पिता हनुमंतसिंह जाति राजपूत	44/4	0.085	0.085
	योग	1	0.085	0.085
11	उदा पिता चुन्नीलाल जाति भोई	44/8	0.095	0.095
	योग	1	0.095	0.095
12	सालगराम पिता चुन्नीलाल जाति भोई	44/9	0.041	0.041
	योग	1	0.041	0.041
13	लक्ष्मीनारायण पिता पूरालाल जाति कुम्हार	44/10/1	0.282	0.282
	योग	1	0.282	0.282
14	भागीरथ पिता पूरालाल जाति कुम्हार	44/10/2	0.318	0.318
	योग	1	0.318	0.318
15	जगन्नाथ पिता हरचंद जाति भोई	45/2	0.425	0.425
		47/6/1	0.203	0.203
	योग	2	0.628	0.628
16	लक्ष्मीनारायण पिता हरचंद जाति भोई	45/3	0.183	0.183
		47/6/3	0.068	0.068
	योग	2	0.251	0.251
17	गोकुल पिता हरचंद जाति भोई	45/4	0.183	0.183
		47/6/4	0.068	0.068
	योग	2	0.251	0.251
18	रामनाथ पिता हरचंद जाति भोई	45/5	0.466	0.466
		47/6/5	0.260	0.260
	योग	2	0.726	0.726
19	विक्रमसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत	47/2/1	0.127	0.127
		47/1/2	1.265	1.265
	योग	2	1.392	1.392

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
20	भगवानसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत	47/2/2	0.126	0.126
	योग	**1**	**0.126**	**0.126**
21	तंवरलाल पिता भंवरलाल जाति राजपूत	47/2/3	0.126	0.126
	योग	**1**	**0.126**	**0.126**
22	केशरसिंह पिता कालूसिंह जाति राजपूत	47/3/1	0.059	0.059
		265/5	0.493	0.493
	योग	**2**	**0.552**	**0.552**
23	भगवतसिंह पिता कालूसिंह जाति राजपूत	265/4	0.493	0.493
		47/3/4	0.058	0.058
		161/5	0.010	0.010
	योग	**3**	**0.561**	**0.561**
24	भंवरलाल पिता कालूसिंह जाति राजपूत	47/3/2	0.058	0.058
		69/2	0.099	0.099
		129/5	0.015	0.015
		171/5	0.008	0.008
	योग	**4**	**0.180**	**0.180**
25	रामनाथसिंह पिता कालूसिंह जाति राजपूत	47/3/3	0.058	0.058
		181/3	0.036	0.036
		155/1	0.005	0.005
		69/3	0.099	0.099
		143/3	0.011	0.011
	योग	**5**	**0.209**	**0.209**
26	मोतीसिंह पिता कालूसिंह जाति राजपूत	47/3/5	0.058	0.058
		241/3	0.268	0.268
	योग	**2**	**0.326**	**0.326**
27	अनोखबाई पति लक्ष्मीनारायण जाति अहीर	47/4	1.012	1.012
	योग	1	1.012	1.012

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
28	देवीसिंह पिता रामप्रसाद व रेशबाई बेवा रामप्रसाद जाति लोड़ा	47/8	0.380	0.380
	योग	1	0.380	0.380
29	बापूलाल पिता शंकरलाल जाति कुम्हार	47/13	0.380	0.380
	योग	1	0.380	0.380
30	मदनलाल पिता किशोर व धापूबाई बेवा किशोर जाति भोई	48	0.177	0.177
	योग	1	0.177	0.177
31	सोमनाथसिंह, राजपालसिंह पिता बजरंगसिंह, विष्णुकुवंर बेवा बजरंगसिंह जाति राजपूत	49	1.003	1.003
	योग	1	1.003	1.003
32	गोरधनसिंह पिता प्यारसिंह जाति राजपूत	68/3/2	0.023	0.023
	योग	1	0.023	0.023
33	अन्तरसिंह पिता प्यारसिंह जाति राजपूत	68/3/3	0.023	0.023
	योग	1	0.023	0.023
34	लक्ष्मणसिंह पिता प्यारसिंह जाति राजपूत	68/3/4	0.023	0.023
	योग	1	0.023	0.023
35	रघुवीरसिंह पिता करणसिंह जाति राजपूत	168	0.025	0.025
	योग	1	0.025	0.025
36	कुमेरसिंह पिता सरदारसिंह जाति राजपूत	60/10	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
	कुलयोग :–	57	13.187	13.187

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), राजगढ़, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्रकरण क्रमांक 46-अ-82-2016-2017/12756 राजगढ़, दिनांक 31 मार्च 2017

(अंतर्गत धारा–19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम नेशबोरदा के लिए डूब में प्रभावित मकान हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा–19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे न. 7 रकबा 0.177 हेक्टेयर एवं सर्वे न. 28 रकबा 0.291 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

–: अनुसूची :–

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान :– ग्राम नेशबोरदा

स.क.	आबादी का विवरण हे.मे.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4		5
1	7	0.177	श्रीलाल पिता कालूसिंह जाति सौंधिया	1/1	119.110
2			सूरजसिंह पिता कालूसिंह जाति सौंधिया	1/2	119.110
3			यादवसिंह पिता कालूसिंह जाति सौंधिया	1/3	142.210
4			अमृतलाल पिता कालूसिंह जाति सौंधिया	1/4	143.710
5			बलवंतसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया	5/1	94.500
6			रघुवीर पिता बलवंतसिंह जाति सौंधिया	5/2	122.850
7			मुकेश पिता बलवंतसिंह जाति सौंधिया	5/3	118.800
8			नारानसिंह पिता जगन्नाथसिंह जाति सौंधिया	6	327.760
9			सरजनसिंह पिता नारायणसिंह जाति सौंधिया		
10			दिलीपसिंह पिता नारायणसिंह जाति सौंधिया		
11			पृथ्वीसिंह पिता रामरतन जाति सौंधिया	7/1	71.550
12			यादवसिंह पिता रामरतन जाति सौंधिया	7/2	90.460
13			कमलसिंह पिता रामरतन जाति सौंधिया	7/3	90.460
14			कृष्णवल्लभ पिता प्यारेलाल जाति सौंधिया	8	215.800
15			रामकलाबाई पति रामरतन जाति सौंधिया	9	43.000
योग :–					1699.320

स.क.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का मांप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4		5
16	28	0.291	ललिताबाई पति स्व. रामचन्दर जाति सौंधिया	11	110.500
17			हरीसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया	14	26.400
				17	147.270
18			रामचरण पिता बापूलाल जाति सौंधिया	16	58.080
19			गंगाराम पिता बापूलाल जाति सौंधिया	18	131.320
20			जगदीश पिता नारायणसिंह जाति सौंधिया		
21			भगवानसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया		
22			शांतीबाई बेवा स्व. शिवचरण जाति सौंधिया		
23			कालूसिंह पिता रामसिंह जाति सौंधिया	19	152.760
24			विजयसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया	20	169.570
25			गिरवारसिंह पिता विजयसिंह जाति सौंधिया		
26			ललिताबाई पिता चन्दरसिंह	12	21.950
27			कृष्णवल्लभ पिता प्यारेलाल	13	21.950
28			नारायणसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया	15	16.500
29			ताराबाई पति भगवानसिंह	4	45.600
30			प्रेमनारायण पिता रामचरण	3	72.000
31			शांतीबाई पति पृथ्वीसिंह	10	44.400
32			श्रीलाल पिता कालूसिंह	2	256.960
33			ललिताबाई पति बलवंतसिंह	21	176.000
34			बलवंतसिंह पिता करणसिंह	22	110.000
35			रघुवीर पिता बलवंतसिंह	23	110.000
36			मुकेश कुमार पिता बलवंतसिंह	24	110.000
योग :–					1781.260
कुल योग :–					3480.580
				या (हे.में)	0.348

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), राजगढ़, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्रकरण क्रमांक 41-अ-82-2015-2016/12658 राजगढ़, दिनांक 25 मार्च 2017

(अंतर्गत धारा–19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम घोघड़िया कला के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं.30 सन् 2013) की धारा–19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

–: अनुसूची :–

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :– ग्राम घोघड़िया कला

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जित भूमि
1	2	3	4	5
1	इन्दरसिंह पिता माधु जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	5/2	0.145	0.145
		29/53/7	0.011	0.011
		45/9	0.003	0.003
	योग	**3**	**0.159**	**0.159**
2	बंशीलाल पिता माधु जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	5/3	0.146	0.146
		29/53/8	0.011	0.011
	योग	**2**	**0.157**	**0.157**
3	भूरीलाल पिता माधु जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	5/4	0.146	0.146
		6/6	0.112	0.112
		29/53/9	0.012	0.012
	योग	**3**	**0.270**	**0.270**
4	कालू पिता माधु जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	29/53/5	0.011	0.011
	योग	**1**	**0.011**	**0.011**
5	जगन्नाथ पिता पूरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	22/3	0.067	0.067
		23/4	0.092	0.092
		4/10/8	0.098	0.098
		4/8/7	0.825	0.825
		46/1	0.286	0.206
		24/2	0.031	0.031
		4/1/3 में से	2.000	0.210
	योग	**7**	**3.399**	**1.529**
6	गंगाराम पिता पूरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	22/4	0.067	0.067
		4/10/2	0.098	0.098
		4/8/8	0.825	0.825
		23/3	0.092	0.092
		24/1	0.031	0.031
		4/1/5	2.000	0.600
	योग	**6**	**3.113**	**1.713**

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जित भूमि
1	2	3	4	5
7	अमृतसिंह, दोलजी, कंवरलाल, दिनेश, केदारबाई पिता बापूलाल, कंचनबाई बेवा बापूलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	4/18/3 4/1/4	0.675 2.000	0.675 1.800
	योग	**2**	**2.675**	**2.475**
8	भोना पिता धन्ना जाति बंजारा नि.ग्राम भू–स्वामी	27/1 27/2 28 35 36	0.342 0.190 0.025 0.126 0.215	0.152 0.165 0.025 0.126 0.215
	योग	**5**	**0.898**	**0.683**
9	मोतीलाल पिता रामसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	29/53/1	0.038	0.038
	योग	**1**	**0.038**	**0.038**
10	देवसिंह पिता रामसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	29/53/2	0.038	0.038
	योग	**1**	**0.038**	**0.038**
11	रामनारायण पिता रामसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	29/53/3	0.038	0.038
	योग	**1**	**0.038**	**0.038**
12	बीरम पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	29/53/4	0.057	0.057
	योग	**1**	**0.057**	**0.057**
13	प्रेमसिंह पिता माधु जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	29/53/6 4/2/11/3	0.012 0.506	0.012 0.506
	योग	**2**	**0.518**	**0.518**
14	प्रेमसिंह पिता बंशीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	4/12/3 4/18/2 4/8/4 4/10/3 4/11/1	1.349 0.674 0.736 0.065 0.843	1.349 0.674 0.736 0.065 0.843
	योग	**5**	**3.667**	**3.667**
15	जुझारसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	4/11/2	0.843	0.843
	योग	**1**	**0.843**	**0.843**
16	रोड़जी पिता मेहताब जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	4/8/1 4/10/7	2.207 0.196	2.207 0.196
	योग	**2**	**2.403**	**2.403**
17	नंदनसिंह पिता रामसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	4/2/3	2.000	1.850
	योग	**1**	**2.000**	**1.850**
18	नारायणसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	4/2/11/2	0.506	0.506
	योग	**1**	**0.506**	**0.506**

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जित भूमि
1	2	3	4	5
19	भंवरलाल पिता पूरा जाति चमार नि.ग्राम भू–स्वामी	4/16/2	0.667	0.667
	योग	**1**	**0.667**	**0.667**
20	बाल्या पिता पूरा जाति चमार नि.ग्राम भू–स्वामी	4/16/3	0.667	0.667
	योग	**1**	**0.667**	**0.667**
21	सौरमबाई पति रोड़जी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	4/1/6	2.000	2.000
	योग	**1**	**2.000**	**2.000**
22	रतनबाई पति करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	4/1/7	2.000	2.000
	योग	**1**	**2.000**	**2.000**
23	शिवनारायण पिता पूरजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू–स्वामी	23/2	0.091	0.057
	योग	**1**	**0.091**	**0.057**
कुलयोग :–		**50**	**26.215**	**22.346**

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), राजगढ़, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्रकरण क्रमांक 21-अ-82-2015-2016/12661

(अंतर्गत धारा–19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम बख्तावरपुरा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं.30 सन् 2013) की धारा–19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

–: अनुसूची :–

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :– ग्राम बख्तावरपुरा

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	भागीरथ पिता ईशरलाल जाति अहीर नि.ग्राम बहादरपुरा	4/4/2/1	0.946	0.473
		51/2	0.114	0.114
		55/3/2	0.683	0.683
	योग	**3**	**1.743**	**1.270**
2	केशाराम पिता ईशरलाल जाति अहीर नि.ग्राम बहादरपुरा	4/4/3/1	0.946	0.473
		55/3/3/i	0.683	0.410
	योग	2	1.629	0.883

3	बलदेव पिता ईशरलाल जाति अहीर नि.ग्राम बहादरपुरा	4/4/4/1	0.949	0.476
		55/3/4/1	0.682	0.408
	योग	**2**	**1.631**	**0.884**
4	छबीलाल पिता भोनजी जाति अहीर नि.ग्राम भू–स्वामी	4/3/1	3.794	3.794
	योग	**1**	**3.794**	**3.794**
5	रामकैलाश, शिवनारायण, घनश्याम, नंदकिशोर पिता मोतीलाल, जमनीबाई बेवा मोतीलाल जाति अहीर नि.ग्राम भू–स्वामी	4/4/1/1	0.946	0.273
		55/3/1/1	0.683	0.410
	योग	**2**	**1.629**	**0.683**
6	पर्वत, प्रकाश, लालाराम पिता रामरतन, कंचनबाई बेवा रामरतन जाति बृजा नि.ग्राम भू–स्वामी	7/1/1	0.991	0.690
	योग	**1**	**0.991**	**0.690**
7	दरियावबाई पति कन्हैयालाल, भागीरथ पिता बापू जाति बृजा नि.ग्राम भू–स्वामी	17/4/2	1.201	0.060
		59/4/2	0.916	0.450
	योग	**2**	**2.117**	**0.510**
8	रामगोपाल, दिलीप कुमार पिता पन्नालाल जाति अहीर नि.ग्राम भू–स्वामी	36/1/1	1.689	0.689
		39/2/1	1.069	0.069
		55/2/1	0.506	0.304
	योग	**3**	**3.264**	**1.062**
9	बद्रीलाल पिता भोनजी जाति अहीर नि.ग्राम बहादरपुरा	55/1/1	0.506	0.304
		58/2/1	2.529	2.023
	योग	**2**	**3.035**	**2.327**
10	महेश कुमार, महेन्द्रकुमार पिता अमरसिंह मु. भंवरीबाई बेवा अमरसिंह जाति अहीर नि.ग्राम भू–स्वामी	56/2/2/1	2.530	1.012
	योग	**1**	**2.530**	**1.012**
11	हरिओम, अवधेश ना.बा.पिता राधेश्याम मु.पवित्राबाई बेवा राधेश्याम सर.माता स्वंय पवित्राबाई बेवा राधेश्याम जाति अहीर नि.ग्राम बहादुरपुरा	58/1/1	2.530	2.024
	योग	**1**	**2.530**	**2.024**

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
12	बद्रीलाल, कन्हैयालाल, शिवनारायण पिता गिरधारी जाति लुहार नि.ग्राम मोहनपुरा	58/3/1	1.075	0.860
	योग	**1**	**1.075**	**0.860**
13	बद्रीलाल पिता शंभूलाल जाति अहीर नि.ग्राम मोया	58/4/1	5.059	3.047
	योग	**1**	**5.059**	**3.047**
14	नारायणसिंह, रामचरण, बलराम, दरियावसिंह, शैतानबाई, कमलाबाई पिता बदन जाति सुतार नि.ग्राम मोहनपुरा	58/5/1	1.075	0.861
		59/7	0.734	0.734
	योग	**2**	**1.809**	**1.595**
15	हरिसिंह पिता शंभूलाल जाति अहीर नि.ग्राम भू–स्वामी	58/6/1	1.377	1.077
	योग	**1**	**1.377**	**1.077**
16	कंवरलाल पिता हरीलाल जाति बृजा नि.ग्राम भू–स्वामी	59/5	2.402	0.200
	योग	**1**	**2.402**	**0.200**
17	रामसुखी पति राजेन्द्र कुमार, वर्षा साहू पति नरेन्द्र साहू जाति तेली नि.सुल्तानपुरा तहसील ब्यावरा	4/6/2/1	2.655	2.429
	योग	**1**	**2.655**	**2.429**
18	खेमचंद पिता मोती, गंगाबाई पिता मोती जाति बृजा नि.ग्राम भू–स्वामी	59/4/1	0.917	0.450
	योग	**1**	**0.917**	**0.450**
कुलयोग :–		**28**	**40.187**	**24.797**

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व), राजगढ़, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्रकरण क्रमांक 44-अ-82-2015-2016/12676

(अंतर्गत धारा–19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की **ग्राम कोलूखेड़ा** के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा–19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

–: अनुसूची :–

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :– ग्राम कोलूखेड़ा

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	7
1	देवीसिंह पिता पूरजी जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	264/3/2	0.086	0,086
	योग	**1**	**0.086**	**0.086**
2	तरवरसिंह पिता देवीसिंह जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	4	1.581	1.581
	योग	**1**	**1.581**	**1.581**
3	इन्दरसिंह पिता देवीसिंह जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	265/1	0.036	0.036
	योग	**1**	**0.036**	**0.036**
4	रामलाल पिता मेहताब जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	78	0.050	0.050
	योग	**1**	**0.050**	**0.050**
5	हिन्दूसिंह पिता भंवरजी जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	202/3	0.037	0.037
	योग	**1**	**0.037**	**0.037**
6	शिवसिंह पिता भंवरलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	202/2	0.039	0.039
	योग	**1**	**0.039**	**0.039**
7	रामप्रसाद पिता रूगनाथ जाति कुम्हार नि.ग्राम भूमि स्वामी	218/2	0.506	0.506
	योग	**1**	**0.506**	**0.506**
8	शिवसिंह पिता भेरू जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी	230/2/3	0.073	0.073
	योग	**1**	**0.073**	**0.073**

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	7
9	शिवनारायण पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू–स्वामी	295/3	0.953	0.953
	योग	**1**	**0.953**	**0.953**
10	घीसालाल पिता लालजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू–स्वामी	296/1	0.456	0.456
	योग	**1**	**0.456**	**0.456**
11	अमृतलाल पिता मांगीलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	449/1/1	0.060	0.060
	योग	**1**	**0.060**	**0.060**
12	अमृतलाल पिता भंवरलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	129/1/1/7	0.100	0.100
	योग	**1**	**0.100**	**0.100**
13	ओमप्रकाश पिता रामनारायण जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	235/2	0.052	0.052
	योग	**1**	**0.052**	**0.052**
14	इन्दरसिंह पिता देवीसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	7/1	0.149	0.149
	योग	**2**	**0.149**	**0.149**
15	ईश्वरसिंह, बब्लू, संदीप, पिता हजारीलाल देवबाई बैवा कालू जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	357 358	0.063 0.354	0.063 0.358
	योग	**2**	**0.417**	**0.421**
16	उमराव पिता कालू जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	295/2/4	0.030	0.030
	योग	**1**	**0.030**	**0.030**
17	कंवरलाल पिता देवाजी जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	448	0.607	0.607
	योग	**1**	**0.607**	**0.607**
18	कालू पिता गोपाल जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी	294/6	0.005	0.005
	योग	**1**	**0.005**	**0.005**
19	गंगाराम पिता मेहताब जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	335/2/3 343/2/3	0.046 0.020	0.046 0.020
	योग	**2**	**0.066**	**0.066**
20	किशनलाल पिता मेहताब जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	339/2/6 368/2/7	0.148 0.240	0.148 0.240
	योग	**2**	**0.388**	**0.388**

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	7
21	गजरीबाई पिता रूगनाथ जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	222/1	0.054	0.054
	योग	**1**	**0.054**	**0.054**
22	गोपाल पिता रूगनाथ जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	334/1/3	0.240	0.240
	योग	**1**	**0.240**	**0.240**
23	घीसालाल मदनलाल पिता मोतीलाल जाति सौध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी	336/4	0.519	0.519
	योग	**1**	**0.519**	**0.519**
24	जगदीश पिता देवीलाल जाति सुतार नि.ग्राम भूमि स्वामी	470/1/3	0.160	0.160
	योग	**1**	**0.160**	**0.160**
25	जगदीश पिता हरिसिंह, रामलताबाई पति जगदीश जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	324/3	0.562	0.562
	योग	**1**	**0.562**	**0.562**
26	जितेन्द्र पिता धीरपसिंह जाति सौंध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	411/2/1 412/1/2/2 412/1/3	0.017 0.008 0.068	0.017 0.008 0.068
	योग	**3**	**0.093**	**0.093**
27	देवसिंह पिता भंवरजी जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	294/3 279/3 294/5 280/3	0.025 0.018 0.025 0.253	0.025 0.018 0.025 0.253
	योग	**4**	**0.321**	**0.321**
28	देवीसिंह पिता मांगीलाल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	129/1/2/1	1.075	1.075
	योग	**1**	**1.075**	**1.075**
29	दरियावसिंह पिता प्यारजी जाति सौध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी	364/3/2	0.131	0.131
	योग	**1**	**0.131**	**0.131**
30	नारान पिता मांगीलाल जाति सौध्या निवासी कोलूखेड़ा ग्राम भूमि स्वामी	446/1 417/6/2	0.316 0.632	0.316 0.350
	योग	**1**	**0.948**	**0.666**
31	भगवानसिंह पिता नारायणसिंह, नोरंगबाई बेवा नारायणसिंह जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	268/1 319/1/1 324/2/1 325/1/1 329/1 428/2/1	0.073 0.421 0.102 0.195 0.635 0.168	0.073 0.421 0.102 0.195 0.635 0.168
	योग	**6**	**1.594**	**1.594**

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	7
32	प्रेमसिंह पिता मांगीलाल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	449/1/2 451/1/2/1	0.060 0.040	0.060 0.040
	योग	2	**0.100**	**0.100**
33	प्रेमसिंह पिता माग्या जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	149/1/6	1.000	1.000
	योग	1	**1.000**	**1.000**
34	प्रभूलाल पिता गोपाल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	294/4	0.270	0.270
	योग	1	**0.270**	**0.270**
35	प्यारजी पिता किशन जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	14/1	0.039	0.039
	योग	1	**0.039**	**0.039**
36	प्यारजी पिता भंवरजी जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	258/1 417/4	0.034 2.466	0.034 2.000
	योग	2	**2.500**	**2.034**
37	बिहारीलाल पिता प्रेमसिह जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	403/2/1	0.022	0.022
	योग	1	**0.022**	**0.022**
38	बापूलाल पिता विजयसिंह जाति सौध्या नि. गाम भूमि स्वामी	447/3	0.205	0.205
	योग	1	**0.205**	**0.205**
39	भंवरलाल पिता विजयसिंह जाति सौध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी	446/2	0.279	0.279
	योग	1	**0.279**	**0.279**
40	भगवानसिंह पिता विजयसिंह जाति सौध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी	447/1	0.208	0.208
	योग	1	**0.208**	**0.208**
41	भारतसिंह पिता विजयसिंह जाति सौध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी	447/2	0.207	0.207
	योग	1	**0.207**	**0.207**
42	भंवरलाल पिता कालू भारत पिता नवल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	307/2	0.439	0.439
	योग	1	**0.439**	**0.439**
43	भंवरलाल पिता माधू जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	356 93/2	0.190 0.254	0.190 0.254
	योग	2	**0.444**	**0.444**

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	7
44	मोहनलाल पिता रामनाराण जाति सौध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी	424/2 235/3	0.088 0.052	0.088 0.052
	योग	2	0.140	0.140
45	मांगीलाल पिता किशनलाल जाति सौध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी	251/1	0.010 0.000	0.010 0.000
	योग	1	0.010	0.010
46	मांगीलाल पिता भंवरजी जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	379/1 395/1 280/1	0.105 0.158 0.250	0.105 0.158 0.099
	योग	3	0.513	0.362
47	मांग्या शम्भू आ. पूरिया कमला आ.पूरिया जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी	309/4/1	0.512	0.512
	योग	1	0.512	0.512
48	मांगूसिंह पिता बापूलाल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	229/4 355/1	0.608 0.089	0.608 0.089
	योग	2	0.697	0.697
49	मांगीलाल प्रेमनारायण उमरावसिंह पिता कालू जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	445/4	0.013	0.013
	योग	1	0.013	0.013
50	मोतीलाल पिता भेरू जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	335/3	0.074	0.074
	योग	1	0.074	0.074
51	मोहन पिता रूगनाथ जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	334/1/2	0.240	0.240
	योग	1	0.240	0.240
52	मोहनलाल पिता मोतीलाल जाति सौध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी	157/1/1 220/1	0.095 0.116	0.095 0.116
	योग	2	0.211	0.211
53	मांगीलाल पिता कालू जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी प्रेमनारायण पिता कालू जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	445/1	0.355	0.355
	योग	1	0.355	0.355
54	मांगीलाल पिता बापूलाल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	336/2/1 220/2/1	0.123 0.011	0.123 0.011
	योग	2	0.134	0.134
55	रामेश्वर पिता रूगनाथ जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	334/1/4	0.241	0.241
	योग	1	0.241	0.241

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	7
56	रामचरण पिता रूगनाथ जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	334/1/1	0.240	0.240
	योग	1	0.240	0.240
57	रामलाल पिता मांगीलाल मांगीलाल पिता गोपीलाल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	449/1/3	0.263	0.263 0.000
	योग	1	0.263	0.263
58	रूगनाथ पिता पूरजी जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	188/1 197/1	0.070 0.019	0.070 0.019
	योग	2	0.089	0.089
59	रामेश्वर पिता हरिसिंह जाति सौंध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	324/1	1.069	1.069
	योग	1	1.069	1.069
60	लाखनसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	449/1/4	0.263	0.263
	योग	1	0.263	0.263
61	विष्णु ना.बा. पिता भंवरलाल स.प. माता रजानबाई बेवा भंवरलाल मु. सोरमबाई रजानबाई भवंरलाल जाति सौंध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी	319/3 406	0.759 0.139	0.759 0.139
	योग	2	0.898	0.898
62	शिवनारायण पिता देवीलाल जाति सुतार नि.ग्राम भूमि स्वामी	153/5/2/2	0.127	0.127
	योग	1	0.127	0.127
63	सुरेन्द्रसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	3/10/2/1	0.379	0.379
	योग	1	0.379	0.379
64	शिवसिंह पिता रामनारायण जाति सौंध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	241 424/1 237	0.329 0.088 0.898	0.329 0.088 0.898
	योग	3	1.315	1.315
65	शिवसिंह भारतसिंह पिता रूगनाथ मु. प्रभूबाई बेवा रूगनाथ जगदीश इन्दरसिंह पिता नारायणसिंह मु.रतनबाई बेवा नारानसिंह जाति सौंध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	314/4 369/2	0.212 1.349	0.212 1.349
	योग	2	1.561	1.561
66	सूरजसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी	129/1/2/2	1.075	1.075
	योग	1	1.075	1.075
67	हेमराजसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी	417/9/3 151/6/2/1	0.505 0.400	0.505 0.400
	योग	2	0.905	0.905

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	7
68	प्रेमनारायण पिता कालू जाति सौंध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	445/3 295/2/1	0.670 1.596	0.670 1.596
	योग	2	**2.266**	**2.266**
69	उमरावसिंह पिता कालू जाति सौंध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	445/2	0.670	0.670
	योग	1	**0.670**	**0.670**
70	जादूसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	417/22 151/6/2/4 321/2/3	0.497 0.400 0.066	0.070 0.400 0.066
	योग	3	**0.963**	**0.536**
71	मुशीलाल पिता शिवसिंह जाति सौंध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	321/2/4 151/6/2/5	0.890 0.400	0.890 0.400
	योग	2	**1.290**	**1.290**
72	भारतसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	321/2/5 151/6/2/6	0.446 0.400	0.446 0.400
	योग	2	**0.846**	**0.846**
73	गोकुलप्रसाद शिवनारायण जगदीश पिता देवीलाल जाति सुतार नि.ग्राम भूमि स्वामी	167/1 470/495/1	0.007 0.537	0.007 0.537
	योग	2	**0.544**	**0.544**
74	देवराज पिता भंवरलाल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	93/1	0.253	0.253
	योग	1	**0.253**	**0.253**
75	मांगीलाल पिता किशनलाल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वमी	461	1.189	1.189
	योग	1	**1.189**	**1.189**
76	जगन्नाथ नारान पिता लक्ष्मण जाितरूवाला पता िनवासीग्राम भूिमस्वामी	7/1/1/1	0.149	0.149
	योग	1	**0.149**	**0.149**
77	जगदीश पिता अनारसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू–स्वामी	378/4	0.385	0.385
	योग	1	**0.385**	**0.385**
78	मांगीलाल, प्रेमसिंह, उमरावसिंह पिता कालू, सम्पत, गीता, दरियाव, कमलाबाई पिता कालू मु. गुलाबबाई विधवा कालू जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी.	393/1	0.350	0.350
	योग	1	**0.350**	**0.350**
79	बीरम पिता घीसालाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	417/11/2	0.632	0.632
	योग	1	**0.632**	**0.632**

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	7
80	मांगीलाल, रतनलाल पिता गोपीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	449/2	0.632	0.632
	योग	**1**	**0.632**	**0.632**
81	भगवानसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू–स्वामी	151/6/2/2	0.400	0.400
	योग	**1**	**0.400**	**0.400**
82	अर्जुनसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	248/2/5	0.030	0.030
	योग	**1**	**0.030**	**0.030**
83	बनेसिंह पिता मथुरालाल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	432/493/2	0.165	0.165
	योग	**1**	**0.165**	**0.165**
84	श्रीलाल पिता मथुरालाल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	432/493/3	0.164	0.164
	योग	**1**	**0.164**	**0.164**
85	धीरपसिंह पिता मथुरालाल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	432/493/4 3/10/4	0.164 0.759	0.164 0.759
	योग	**2**	**0.923**	**0.923**
86	जगदीश पिता मथुरालाल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	432/493/5	0.164	0.164
	योग	**1**	**0.164**	**0.164**
87	रामलाल पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	251/2	0.010	0.010
	योग	**1**	**0.010**	**0.010**
88	हजारीलाल पिता कालू जाति सौंधिया नि.ग्राम डुंगरपुर भू–स्वामी	2/1/3	0.357	0.357
	योग	**1**	**0.357**	**0.357**
89	भारतसिंह पिता प्यारजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	3/1/1	1.978	0.500
	योग	**1**	**1.978**	**0.500**
90	शम्भू पिता पूरा जाति चमार नि.ग्राम भू–स्वामी	3/1/9	1.000	0.126
	योग	**1**	**1.000**	**0.126**
91	मानसिंह पिता समदर जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	3/3/2	0.590	0.590
	योग	**1**	**0.590**	**0.590**
92	दरयावसिंह पिता समदर जाति सौंधिया नि. ग्राम भू–स्वामी	3/3/3	0.590	0.590
	योग	**1**	**0.590**	**0.590**

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	7
93	केशरबाई पति भंवरलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू–स्वामी	3/11/2	1.463	0.350
	योग	**1**	**1.463**	**0.350**
94	मनोहरबाई पति नन्दलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू–स्वामी	3/11/3	1.463	0.950
	योग	**1**	**1.463**	**0.950**
95	लीलाबाई पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू–स्वामी	149/1/8/2	1.420	1.420
	योग	**1**	**1.420**	**1.420**
96	सत्यनारायण पिता हिन्दूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू–स्वामी	151/6/1/2	0.400	0.400
	योग	**1**	**0.400**	**0.400**
97	बबलू पिता हिन्दूसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	151/6/1/3	0.400	0.400
	योग	**1**	**0.400**	**0.400**
98	मुकेश पिता हिन्दूसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	151/6/1/4	0.400	0.400
	योग	**1**	**0.400**	**0.400**
99	दीपक पिता दरियावसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू–स्वामी	355/2	0.151	0.151
	योग	**1**	**0.151**	**0.151**
100	हजारीलाल पिता कालू जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	359	1.126	1.126
	योग	**1**	**1.126**	**1.126**
101	शिवसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू–स्वामी	369/3	1.349	0.949
	योग	**1**	**1.349**	**0.949**
102	लक्ष्मीनारायण पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू–स्वामी	417/1/6	1.500	1.000
	योग	**1**	**1.500**	**1.000**
103	कालू पिता भंवरजी जाति कुमार नि.ग्राम भू–स्वामी	417/1/7	1.000	0.600
	योग	**1**	**1.000**	**0.600**
104	घनश्याम पिता बिहारी जाति नाई नि.ग्राम भू–स्वामी	417/1/8	1.000	0.270
	योग	**1**	**1.000**	**0.270**

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	7
105	बल्लभ पिता बिहारी जाति नाई नि.ग्राम भू–स्वामी	417/1/9	1.000	0.060
	योग	**1**	**1.000**	**0.060**
106	हरिसिंह, लक्ष्मीनारायण पिता गुलाब मु. केशरबाई वि. गुलाब, केलाशबाई पिता गुलाब जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	417/2	1.012	0.950
	योग	**1**	**1.012**	**0.950**
107	जशरथसिंह पिता हेमराजसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	417/3/1/2	1.265	1.100
	योग	**1**	**1.265**	**1.100**
108	जगदीश पिता हरिसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	417/3/2	3.162	0.600
	योग	**1**	**3.162**	**0.600**
109	कैलाश पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	417/6/1	0.633	0.350
	योग	**1**	**0.633**	**0.350**
110	सुल्तानसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू–स्वामी	417/21	0.497	0.030
		151/6/2/3	0.400	0.400
	योग	**2**	**0.897**	**0.430**
111	मुंशीलाल पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू–स्वामी	417/23	0.497	0.137
	योग	**1**	**0.497**	**0.137**
112	भारतसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू–स्वामी	417/24	0.497	0.200
	योग	**1**	**0.497**	**0.200**
113	दौलजी पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	421/8	1.012	1.012
	योग	**1**	**1.012**	**1.012**
114	मांगीलाल पिता कालू जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	439/1	0.216	0.216
	योग	**1**	**0.216**	**0.216**
115	हरिसिंह पिता भोनजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	440/1	0.301	0.100
	योग	**1**	**0.301**	**0.100**
116	शिवसिंह पिता भोनजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	440/2	0.300	0.100
	योग	**1**	**0.300**	**0.100**
117	धीरपसिंह पिता भोनजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	440/3	0.300	0.100
	योग	**1**	**0.300**	**0.100**

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	7
118	भगवानसिंह पिता भोनजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	440/4	0.300	0.150
	योग	**1**	**0.300**	**0.150**
119	रतनलाल पिता भोनजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	440/5	1.201	0.350
	योग	**1**	**1.201**	**0.350**
120	भगवानसिंह पिता विजयसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	446/3	0.037	0.037
	योग	**1**	**0.037**	**0.037**
121	प्यारजी पिता बाबरू जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	2/2	0.721	0.721
	योग	**1**	**0.721**	**0.721**
122	मांगीलाल पिता समन्दरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	3/2/1	1.012	0.700
	योग	**1**	**1.012**	**0.700**
123	कैलाशबाई विधवा दरियावसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	479/3 480/3 481/3	0.456 0.674 0.619	0.456 0.674 0.358
	योग	**3**	**1.749**	**1.488**
कुलयोग :–		**162**	**72.749**	**58.108**

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), राजगढ़, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सागर, मध्यप्रदेश

क्रमांक /न्या.लि./15 सागर, दिनांक 29 जुलाई 2015

// अधिसूचना जारी बावत //

सचिव म.प्र.शासन गृह, (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र एफ–दो(क) 15/99/बी–3/दो दिनांक 11.10.2004 में जारी निर्देशों के परिपालन में एवं दण्डप्रक्रिया संहिता 1973(1974) संख्याक–2 की धारा दो के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दर्शायी गयी सारणी को म.प्र. राज्य पत्र ने इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से :–

1. नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में उल्लेखित पुलिस थानों/अनुभाग से उसके (सारणी के कालम) (2) में विनिदिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित किये जाने हेतु।
2. सारणी के कालम (2) में विनिदिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित अनुभाग रहली/खुरई के थाना क्षेत्र के ग्रामों का परिसीमन किये जाने का प्रस्ताव।

अनुभाग–रहली

सारणी

क्र.	ग्रामों के नाम जिनका परिसीमन किया जाना है।	वर्तमान में किस थाना चौकी अंतर्गत है एवं दूरी	जिस थाना/चौकी में सम्मलित किया जाना है, नाम एवं दूरी	सांसद/विधायक द्वारा प्रस्तावित ग्राम जिनका परिसीमन किया जाना है अभिमत सहित	ग्राम पंचायत सभा का अभिमत	रिमार्क
1	ग्राम रानगिर	थाना गौरझामर 20 कि.मी.	थाना रहली 20 कि.मी.	माननीय विधायक/मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सहकारिता विभाग म.प्र. द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा में उक्त ग्राम को यथावत थाना गौरझामर में रखे जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान मे देवरी अनुभाग के अंतर्गत आता है व दूरी समान होने से एवं ग्राम रानगिर की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील रहली के अंतर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रानगिर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
2	ग्राम रामपुर	थाना गौरझामर 12 कि.मी.	थाना रहली 21 कि.मी.	माननीय विधायक/मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सहकारिता विभाग म.प्र. द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा में उक्त ग्राम को यथावत थाना रहली में रखे जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान मे देवरी अनुभाग के अंतर्गत आता है एवं ग्राम रामपुर की राजस्व सीमाएं एवं ग्राम की तहसील रहली के अंतर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रामपुर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3	ग्राम पाटई	थाना गौरझामर 13 कि.मी.	थाना रहली 22 कि.मी.	माननीय विधायक/मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सहकारिता विभाग म.प्र. द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा में उक्त ग्राम को यथावत थाना रहली में रखे जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान मे देवरी अनुभाग के अंतर्गत आता है एवं ग्राम पाटई की राजस्व सीमाएं एवं ग्राम की तहसील रहली के अंतर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रामपुर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
4	ग्राम सकरी	थाना गौरझामर 15 कि.मी.	थाना रहली 15 कि.मी.	माननीय विधायक/मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सहकारिता विभाग म.प्र. द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा में उक्त ग्राम को यथावत थाना रहली में रखे जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान मे देवरी अनुभाग के अंतर्गत आता है व समान दूरी होने से एवं ग्राम सकरी की राजस्व सीमाएं एवं ग्राम की तहसील रहली के अंतर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रामपुर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
5	ग्राम परासई	थाना गौरझामर 16 कि.मी.	थाना रहली 17 कि.मी.	माननीय विधायक/मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सहकारिता विभाग म.प्र. द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा में उक्त ग्राम को यथावत थाना रहली में रखे जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान मे देवरी अनुभाग के अंतर्गत आता है एवं ग्राम परासई की राजस्व सीमाएं एवं ग्राम की तहसील रहली के अंतर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रामपुर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
6	ग्राम पटना	थाना गौरझामर 16 कि.मी.	थाना रहली 14 कि.मी.	माननीय विधायक/मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सहकारिता विभाग म.प्र. द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा में उक्त ग्राम को यथावत थाना रहली में रखे जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान मे देवरी अनुभाग के अंतर्गत आता है एवं ग्राम पटना की राजस्व सीमाएं एवं ग्राम की तहसील रहली के अंतर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रामपुर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
7	ग्राम सेहरी	थाना गौरझामर 03 कि.मी.	थाना रहली 15 कि.मी.	माननीय विधायक/मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सहकारिता विभाग म.प्र. द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा में उक्त ग्राम को यथावत थाना रहली में रखे जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान मे देवरी अनुभाग के अंतर्गत आता है एवं ग्राम सेहरी की राजस्व सीमाएं एवं ग्राम की तहसील रहली के अंतर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रामपुर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अनुभाग–खुरई

सारणी

क्र.	ग्रामों के नाम जिनका परिसीमन किया जाना है।	वर्तमान में किस थाना चौकी अंतर्गत है एवं दूरी	जिस थाना /चौकी में सम्मलित किया जाना है, नाम एवं दूरी	सांसद/विधायक द्वारा प्रस्तावित ग्राम जिनका परिसीमन किया जाना है अभिमत सहित	ग्राम पंचायत सभा का अभिमत	रिमार्क
1	ग्राम धरमपुर	थाना बांदरी से 40 कि.मी.	थाना खुरई से 15 कि.मी.	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम धरमपुर की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम धरमपुर को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है
2	ग्राम बलोप	थाना बांदरी से 38 कि.मी.	थाना खुरई से 14 कि.मी.	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम बलोप की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम बलोप को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3	ग्राम पाली	थाना बांदरी से 30 कि.मी.	थाना खुरई से 14 कि.मी.	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम पाली की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम पाली को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
4	ग्राम पिपरिया गौड़	थाना बांदरी से 35 कि.मी.	थाना खुरई से 13 कि.मी.	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम पिपरिया गौड़ की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम पिपरिया गौड़ को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
5	ग्राम कुमरोल	थाना बांदरी से 36 कि.मी.	थाना खुरई से 13 कि.मी.	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम कुमरोल की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम कुमरोल को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6	ग्राम बछउ	थाना बांदरी से 37 कि.मी.	थाना खुरई से 12 कि.मी.	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम बछउ की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम बछउ को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
7	ग्राम बांदरी	थाना बांदरी से 36 कि.मी.	थाना खुरई से 12 कि.मी.	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम बांदरी की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम बांदरी को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
8	ग्राम गोलनी	थाना बांदरी से 35 कि.मी.	थाना खुरई से 12 कि.मी.	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम गोलनी की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम गोलनी को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

9	ग्राम नारधा	थाना बांदरी से 35 कि.मी.	थाना खुरई से 15 कि.मी.	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम नारधा की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम नारधा को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
10	ग्राम बहरोल	थाना बांदरी से 45 कि.मी.	थाना खुरई से 15 कि.मी.	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम बहरोल की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम बहरोल को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
11	ग्राम नगदा	थाना बांदरी से 09 कि.मी.	—	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम नागदा की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम नगदा को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

12	ग्राम ढेमाढाना	थाना बांदरी से 12 कि.मी.	–	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम ढेमाढाना की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम ढेमाढाना को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
13	ग्राम जमुनिया धीरज	थाना बांदरी से 18 कि.मी.	थाना खुरई से 12 कि.मी.	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम जमुनिया धीरज की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम जमुनिया धीरज को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

ए. के. सिंह, जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन उपसचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2017

क्र. एफ 4(ए)01-2012-ए-सोलह.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(ए)01-2012-ए-सोलह, दिनांक 11 जुलाई, 2016 को अधिक्रमित करते हुए तथा कारखाना अधिनियम, 1948 (सन् 1948 का 63) की धारा 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सतीश कुमार बरडे, प्रभारी संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश, इंदौर को आगामी आदेश तक मध्यप्रदेश राज्य के लिये "मुख्य कारखाना निरीक्षक" नियुक्त करता है.

No. F-4-(A)-01-2012-A-XVI.—In Supersession of this department Notification No. F-4-(A)-01-2012-A-XVI dated 11 July, 2016 and in exercise of power conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) State Government hereby, appoints, until further order, Shri Satish Kumar Barde, Incharge Director, Industrial Health & Safety , Madhya Pradesh, Indore as "Chief Inspector of Factories" for the State of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमरपाल सिंह, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2017

क्र. 938-1233-2017-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 04 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिए उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन के प्रयोजन के लिए कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड का नाम और उसका मुख्यालय	जिले के नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बुरहानपुर	बुरहानपुर	कु. प्रीति जैन, JMFC
2	देवास	देवास	श्रीमती विनीता गुप्ता, JMFC
3	डिंडोरी	डिंडोरी	श्री अरविन्द कुमार बारला, JMFC
4	गुना	गुना	श्री अरविन्द श्रीवास्तव, JMFC
5	इंदौर	इंदौर	श्रीमती बरखा दिनकर, JMFC
6	जबलपुर	जबलपुर	श्री आशीष प्रताप सिंह, JMFC
7	मंदसौर	मंदसौर	श्री रूपेश कुमार गुप्ता, ACJM
8	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	श्रीमती सारिका भाटी, JMFC
9	सागर	सागर	कु. पदमा जाटव, JMFC
10	सतना	सतना	कु. हर्षिनी यादव, JMFC
11	उज्जैन	उज्जैन	श्रीमती श्वेता तिवारी, JMFC
12	उमरिया	उमरिया	श्रीमती दिव्या सिंह, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज शर्मा, अवर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 1 अप्रैल 2017

क्र. 125-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलत: वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अत: उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—बहरी
(ग) ग्राम—कुबरी
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—कुबरी 21,
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 12.540 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
4	0.091	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
3	0.023		
2	0.497		
1/1, 1/2	0.260		
26	0.002		
25	0.055		
18	0.216		
17	0.143		
19	0.472		
20	0.436		
21	0.002		
56	0.002		
106	0.043		
107	0.060		
108	0.101		
109	0.245		
110/1, 110/2	0.521		
111	0.200		
112	0.110		

(1)	(2)	(3)	(4)
113	0.050	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
114	0.208		
115	0.208		
116	0.729		
58	0.003		
59	0.003		
104	0.024		
98	0.173		
99	0.002		
97	0.114		
96	0.032		
117	0.450		
118	0.857		
119	0.367		
120	0.024		
121	0.007		
123	0.307		
161	0.020		
162	0.220		
160	0.130		
158	0.112		
159	0.060		
163	0.112		
165	0.082		
166	0.036		
170	0.010		
171	0.001		
248	0.100		
303	0.090		
305	0.080		
306	0.060		
307	0.062		
308	0.057		
304	0.040		
250	0.027		
249	0.280		
301/1, 301/2	0.845		
309/693	0.120		
309	0.496		
254/1, 254/2	0.005		
299	0.021		
300	0.060		
298	0.279		
297	0.080		

(1)	(2)	(3)	(4)
315/1 315/2 315/3 315/4 315/5	0.420	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
313	0.116		
286	0.003		
287	0.029		
296	0.130		
316	0.125		
317	0.101		
318	0.088		
320	0.025		
319	0.014		
294	0.148		
291	0.140		
251/मिन-1, 251/मिन-2	0.220		
252	0.102		
295	0.128		
310	0.075		
314/2	0.010		
314/1 314/3 314/4 314/5 314/6 314/7 314/8 314/1/मिन-1	0.071		
247	0.030		
288	0.043		
निजी भूमि का योग . .	12.540		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 127-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलत: वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें

क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अत: उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम—केशवाही

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—बहरी नं.-51,

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 4.028 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
161	0.050	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
159/1 159/2/क 159/2/ख	0.189		
158	0.141		
156	0.057		
4	0.061		
8/1/क, 8/1/ख	0.101		
8/2/मिन-3 8/2/मिन-10 8/2/मिन-11 8/2/मिन-12 8/2/मिन-13 8/2/मिन-14 8/2/मिन-15 8/2/मिन-16 8/2/मिन-17 8/2/मिन-18	0.064		
6	0.453		
15/1 15/2 15/3 15/4 15/5 15/6	0.155		
14/1/मिन-3 14/1/मिन-5 14/1/मिन-7 14/1/मिन-8/1 14/1/मिन-8/2 14/1/मिन-10 14/1/मिन-16	0.080		

(1)	(2)	(3)	(4)
34/मिन-1/1/2 34/मिन-1/2 34/मिन-2	0.001	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
33	0.006		
35/1, 35/2, 35/3	0.056		
30/1 30/2/1 30/2/2 30/3	0.015		
36/5 36/मिन-1 36/मिन-2/1 36/मिन-2/2 36/मिन-3 36/मिन-4 36/मिन-5/1 36/मिन-5/2 36/मिन-6 36/मिन-7	0.065		
28/1 28/2 28/3 28/4 28/5 28/6	0.054		
37/1 37/2 37/3 37/4	0.123		
43	0.121		
38, 38/2	0.059		
42 44/1 44/2/1	0.051 0.050		
44/2/2			
48/1	0.024		
48/2	0.044		
47/, 47/2	0.060		
51/1	0.085		
51/2/1, 51/2/2	0.039		
52/1, 52/2	0.025		
53	0.038		
55/1, 55/2, 55/3	0.028		

(1)	(2)	(3)	(4)
56/1/1 56/1/2 56/5 56/6 56/2 56/3 56/4	0.275	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
57	0.012		
59	0.023		
137	0.028		
136/1, 136/2	0.019		
83/मिन-1/1 83/मिन-1/2 83/मिन-1/3 83/मिन-1/4 83/मिन-2	0.035		
82/1/1 82/1/2 82/1/3 82/2	0.069		
71	0.123		
72	0.122		
73	0.292		
77/1/1 77/1/2 77/2 77/3 77/4/1 77/4/2 77/4/3 77/4/4	0.182		
95	0.158		
96	0.395		
निजी भूमि का योग . .	4.028		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 129-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलत: वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अत: उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—बहरी
(ग) ग्राम—मझरेटी कला
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—मझरेटी कोठार नं.-15,
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—2.126 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
245/1, 245/2	0.024	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
249	0.075		
254	0.131		
255	0.106		
256	0.034		
282	0.064		
283/1 283/2/1 283/2/2 283/2/3 283/2/4 283/2/5 283/2/6 283/2/7	0.083		
284	0.124		
287	0.002		
288	0.073		
289/1, 289/2, 289/3	0.146		
290/1/1 290/1/2 290/1/3 290/2	0.383		
278/1, 278/2	0.160		
276	0.047		
291	0.047		
295	0.091		
296	0.036		
300/1, 300/2	0.435		
299	0.065		
निजी भूमि का योग . .	2.126		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 131-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलत: वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अत: उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—बहरी
(ग) ग्राम—पैगमा आवाद
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—पैगमा आवाद नं.-30,
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—0.456 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
2/1, 2/2, 2/3, 2/4	0.089	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
3	0.212		
20/1/3/2, 20/3/2 20/3/3 20/3/4 20/2	0.148		
22	0.007		
निजी भूमि का योग . .	0.456		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 133-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलत: वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अत: उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम—कुचवाही
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—कुचवाही नं.-17,
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—4.441 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
85/1	0.540	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
85/2	0.005		
85/3	0.005		
85/4	0.010		
85/5	0.010		
85/6	0.010		
85/7	0.010		
85/8	0.010		
85/9	0.010		
85/10	0.010		
85/11	0.010		
85/12	0.010		
85/13	0.040		
85/14	0.040		
85/15	0.005		
85/16	0.005		
85/17	0.010		
85/18	0.010		
85/19	0.010		
87	0.048		
86	0.012		
92	0.006		
93	0.017		
99	0.215		
103	0.015		
104	0.098		
105	0.039		
119	0.016		
120/1	0.031		
120/2	0.010		
120/3	0.010		
120/4	0.010		
121	0.035		
122/1, 122/2 122/3, 122/4, 122/5, 122/6, 122/7, 122/8, 122/9, 122/10, 122/11	0.080		
123	0.027		

(1)	(2)	(3)	(4)
128	0.034	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
126	0.040		
125	0.008		
127/1	0.112		
127/2	0.004		
127/3	0.004		
129	0.009		
127/1517/1, 127/1517/2, 127/1517/3, 127/1517/4, 127/1517/5, 127/1517/6	0.064		
221/1, 221/2, 221/3, 221/4, 221/5, 221/6, 221/7, 221/8	0.060		
222/1, 222/2	0.016		
220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 220/7	0.029		
133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9, 133/10, 133/11, 133/12, 133/13	0.260		
218	0.112		
151/1/1, 151/1/2, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5, 151/6, 151/7	0.103		
217/1	0.005		
217/2	0.005		
217/3	0.005		
217/4	0.004		
217/5	0.004		
217/6	0.004		
217/7	0.004		
217/8	0.004		
217/9	0.004		
154	0.322		

(1)	(2)	(3)	(4)
203	0.020	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
204/1, 204/2, 204/3, 204/4	0.016		
202	0.026		
190	0.001		
171	0.472		
172/1	0.465		
172/2	0.004		
172/3	0.008		
172/4	0.004		
172/5	0.008		
172/6	0.004		
172/7	0.004		
172/8	0.020		
172/9	0.004		
172/10	0.004		
172/11	0.040		
167/1, 167/2	0.189		
175/1/1	0.170		
175/1/2	0.005		
175/1/3	0.005		
175/2/1 175/2/6 175/2/7	0.176		
175/2/2	0.004		
175/2/3	0.004		
175/2/4	0.004		
175/2/5	0.002		
176/1, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10	0.034		
166	0.004		
165/1	0.042		
165/2/1, 165/2/2	0.050		
215/1, 215/2	0.007		
निजी भूमि का योग . .	4.441		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 135-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं

करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलत: वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अत: उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम—करौंदी

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—कुशियारी नं.-12,

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—2.363 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
274	0.012	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
275	0.126		
341	0.044		
343/1, 343/2	0.023		
346	0.027		
345/1, 345/2	0.406		
344	0.079		
348/1, 348/2	0.041		
349/1, 349/2	0.670		
360/1, 360/2	0.004		
350	0.060		
351	0.120		
353	0.164		
354	0.124		
358	0.161		
355	0.050		
366	0.104		
368	0.007		
352	0.070		
420/1, 420/2	0.071		
निजी भूमि का योग . .	2.363		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 137-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने

(3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलत: वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अत: उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम—बहेरा

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—बहरी नं.-51,

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—2.419 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
53/1, 53/2/1, 53/2/2, 53/3	0.120	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
54	0.095		
55	0.050		
79/1, 79/2	0.107		
84	0.042		
78	0.230		
77/1, 77/2/1, 77/2/2, 77/2/3	0.164		
76/1, 76/3, 76/2/1, 76/2/2, 76/2/3, 76/2/4, 76/2/5, 76/2/6, 76/2/7, 76/2/8	0.247		
86	0.003		
75	0.080		
62/1, 62/2, 62/3	0.009		
74	0.259		
87	0.031		
71	0.050		
70	0.027		
69	0.043		
68/1, 68/2	0.286		
72	0.227		
73	0.169		
98	0.019		
56/1, 56/2, 56/3, 56/4 56/5	0.161		
निजी भूमि का योग . .	2.419		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 139-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलत: वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अत: उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम—बेलहा

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—बेलहा नं.-13

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—5.973 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
759	0.052	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
760	0.026		
761	0.017		
733/1, 733/2	0.020		
762	0.253		
732	0.016		
730	0.006		
731	0.010		
726	0.126		
725	0.029		
696	0.015		
701	0.044		
699	0.010		
700	0.027		
693/1417	0.019		
693	0.008		
703	0.021		
686/मिन-1, 686/मिन-2	0.027		
682/मिन-1 682/मिन-2 682/मिन-3 682/मिन-4	0.027		

(1)	(2)	(3)	(4)
683/मिन-1, 683/मिन-2, 683/मिन-3, 683/मिन-4	0.024	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
662/मिन-1, 662/मिन-2	0.022		
661	0.024		
663/मिन-1, 663/मिन-2	0.017		
658	0.022		
664	0.030		
657	0.018		
656	0.009		
665	0.030		
666	0.004		
667	0.003		
668/1, 668/2, 668/3, 668/4	0.044		
655	0.007		
654/1, 654/2	0.080		
653	0.044		
652	0.042		
644	0.043		
641	0.001		
643	0.020		
642	0.020		
639/1, 639/2	0.054		
634	0.065		
632	0.012		
633	0.010		
617/1, 617/2	0.046		
619/मिन-1, 619/मिन-2	0.014		
620/1, 620/2	0.004		
615	0.040		
616	0.014		
610	0.032		
595	0.016		
592	0.020		
614	0.020		
611	0.010		
594	0.010		
593	0.010		
590/1, 590/2	0.009		
591	0.040		
588	0.029		
587	0.040		
586	0.017		
567	0.007		

(1)	(2)	(3)	(4)
984	0.003	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
993	0.006		
994	0.035		
1001	0.048		
1006	0.029		
1002	0.040		
1003	0.038		
1004	0.067		
1005	0.009		
1026	0.139		
1027	0.056		
1032	0.033		
1033	0.088		
1034/1, 1034/2, 1034/3	0.015		
1038	0.137		
1037	0.022		
1054/1, 1054/2, 1054/3, 1054/4, 1054/5	0.100		
1053	0.050		
1055/1, 1055/2	0.095		
1056	0.006		
1052	0.170		
1051	0.011		
1064/1, 1064/2, 1064/3, 1064/4, 1064/5, 1064/मिन-1	0.547		
1065	0.045		
1341	0.058		
1340	0.030		
1338	0.064		
1339	0.035		
1342	0.026		
1069	0.754		
1070	0.034		
1343/1/3	0.010		

(1)	(2)	(3)	(4)
1343/1/4 1343/1/5 1343/1/6 1343/1/7 1343/1 1343/2	0.290	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
1351	0.404		
1350	0.010		
1349	0.026		
1372	0.191		
1373	0.214		
1380	0.046		
1378	0.046		
1381	0.001		
1377	0.001		
1379	0.052		
1384	0.002		
1411	0.040		
1409	0.002		
698	0.010		
697	0.006		
702	0.026		
613	0.020		
612	0.010		
निजी भूमि का योग . .	5.973		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 141-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलत: वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अत: उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम—बहेरा-685

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—पडरिया नं.-29,

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—4.513 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
401/1		उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
401/2			
401/3			
401/4			
401/5/1	0.603		
401/5/2			
401/5/3			
401/5/4/मिन-1			
401/5/4/मिन-2			
402/1, 402/2	0.091		
403	0.200		
404/1, 404/2	0.129		
405	0.015		
443/1/1/1	0.012		
443/1/1/2			
443/1/1/4			
443/1/1/मिन-5			
443/1/1/6			
443/1/1/मिन-7			
443/1/1/7	0.317		
443/1/1/8			
443/1/1/9			
443/1/1/10			
443/1/1/11			
443/1/1/12			
443/1/1/13			
443/1/1/14			
443/2			
372	0.008		
371	0.016		
370	0.016		
369	0.009		
368	0.021		
367	0.022		
366	0.010		
365	0.053		
364	0.039		
363	0.020		
362/1, 362/2	0.030		

(1)	(2)	(3)	(4)
361/1, 361/2 361/3	0.050	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
360/1, 360/2, 360/3	0.012		
358	0.027		
357	0.040		
356	0.080		
355/1, 355/2	0.029		
354	0.110		
353/1/1 353/1/2 353/1/3 353/1/4 353/1/5 353/1/6 353/1/7 353/1/8 353/1/9 353/1/10	0.306		
352/2	0.106		
349/1, 349/मिन.-1	0.036		
346	0.041		
342/2, 342/मिन.-1	0.006		
347/1, 347/2	0.160		
348/1	0.210		
311/1/1 311/1/2 311/1/3	0.036		
312	0.055		
313/1, 313/2, 313/3, 313/4	0.101		
314	0.110		
315/1, 315/मिन.-1	0.146		
316	0.110		
317	0.086		
318	0.058		
319	0.038		
292	0.150		
293	0.100		
294	0.100		
295	0.110		
296	0.092		
297	0.001		
298	0.025		

(1)	(2)	(3)	(4)
288/1, 288/मिन.-1	0.043	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
289/1, 289/2, 289/3	0.072		
290/1, 290/2, 290/3, 290/4	0.040		
291	0.070		
286/1/1			
286/1/2			
286/1/3			
286/1/4			
286/1/5	0.132		
286/1/6			
286/1/7			
286/2			
286/3			
285/1, 285/2	0.014		
निजी भूमि का योग . .	4.513		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 143-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—बहरी
(ग) ग्राम—सजहा खुर्द
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—खैरा नं.-16
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.336 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
187	0.029	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
188	0.068		
182	0.012		
181/1, 181/2	0.008		

(1)	(2)	(3)	(4)
186/1, 186/2, 186/3	0.065	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
184	0.020		
185	0.030		
189	0.005		
190	0.002		
191	0.032		
171	0.030		
172	0.005		
169	0.010		
170	0.020		
निजी भूमि का योग . .	0.336		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 145-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलत: वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अत: उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—बहरी
(ग) ग्राम—सजहा कला
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—खैरा नं.-16
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—1.810 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
283/1, 283/2, 283/3	0.265	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
285	0.650		
286	0.234		
289	0.018		

(1)	(2)	(3)	(4)
290/1, 290/2/1, 290/2/2/1, 290/2/3/1, 290/2/3/2	0.420	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
291/1			
291/2			
291/3			
291/4	0.149		
291/5			
291/6			
268	0.033		
267	0.013		
292	0.014		
266	0.008		
293	0.006		
निजी भूमि का योग . .	1.810		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 147-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलत: वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अत: उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम—मऊ

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—खैरा नं.-16

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—2.677 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
109/1 109/2	0.086	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
108	0.027		

(1)	(2)	(3)	(4)
106	0.090	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
105	0.049		
104	0.066		
100	0.043		
101	0.062		
103/मिन.-1 103/मिन.-2 103/मिन.-3	0.143		
102	0.060		
98	0.004		
117	0.051		
120	0.054		
121	0.106		
82/1 82/2/1 82/2/2 82/2/3 82/2/4	0.117		
122/1 122/2	0.030		
123/मिन.-1, 123/मिन/2	0.164		
150	0.042		
151	0.042		
79	0.072		
152/1 152/2 152/3 152/4	0.023		
77	0.004		
78	0.030		
155	0.018		
170	0.056		
157/306	0.016		
158	0.006		
159	0.006		
161	0.082		
162	0.090		
163/2 163/मिन. 1 163/मिन. 2	0.083		

(1)	(2)	(3)	(4)
165	0.025	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
164	0.058		
280/मिन.1 280/मिन. 2	0.161		
279/मिन. 1 279/मिन. 2	0.015		
281	0.160		
282	0.064		
301/मिन. 1/1 301/मिन. 1/2 301/मिन. 2	0.340		
302/1 302/2/1 302/2/2	0.132		
निजी भूमि का योग . .	2.677		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 149-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलत: वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अत: उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—बहरी
(ग) ग्राम—मझरेटी खुर्द
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—मझरेटी कोठार न. 15
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 1.282 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
2	0.527	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
3	0.282		
4	0.002		
5	0.002		

(1)	(2)	(3)	(4)
7	0.409	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
8	0.060		
निजी भूमि का योग . .	1.282		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 151-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलत: वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अत: उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—बहरी
(ग) ग्राम—चन्दवाही
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—चंदवाही नं.-52
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 15.901 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
2/1 2/2	0.437	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
11/मिन-2/2 11/2/1 11/मिन-2/3 11/मिन-2/1	0.745		
10	0.004		
17	0.717		
18	0.100		
21	0.271		
23/1/1/2 23/1/1/3 23/1/1/4 23/1/1/5 23/1/1	2.005		

(1)	(2)	(3)	(4)
23/1/2		उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
23/2			
23/1/1/1/1			
23/1/1/1/2			
23/1/1/1/3			
23/1/1/1/4			
23/1/1/1/5			
23/1/1/1/6			
23/1/1/1/7			
23/1/1/1/8			
23/1/1/1/9			
23/1/1/1/10			
23/1/1/1/11			
23/1/1/1/12			
23/1/1/1/13			
23/1/1/1/14			
23/1/1/1/15			
23/1/1/1/16			
23/1/1/1/17			
23/1/1/1/18			
23/1/1/1/19			
23/1/1/1/20			
23/1/1/1/21			
23/1/1/1/22			
23/1/1/1/23			
23/1/1/1/24			
23/1/1/1/25			
23/1/1/1/26			
23/1/1/1/27			
23/1/1/1/28			
23/1/1/1/29			
23/1/1/1/30			
23/1/1/1/31			
23/1/1/1/32			
23/1/1/1/33			
23/1/1/1/34			
23/1/1/1/35			
23/1/1/1/2			
23/1/1/1/3			
24	0.023		
29	1.004		

(1)	(2)	(3)	(4)
77/1		उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
77/2			
77/3			
77/4			
77/5			
77/6			
77/7			
77/8			
77/9			
77/10	0.862		
77/11			
77/12			
77/13			
77/14			
77/15			
77/16			
77/17			
77/18			
77/19			
77/20			
77/21			
77/22			
77/23			
77/24			
77/25			
77/26			
77/27			
77/28			
77/29			
77/30			
77/31			
77/32			
77/33			
77/34			
77/35			
78	0.798		
79	0.500		
75	0.002		
82	0.031		

(1)	(2)	(3)	(4)
83/1			
83/2			
83/3		उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
83/4			
83/5	0.734		
83/6			
83/7			
83/8			
105	0.196		
104/1			
104/2			
104/3			
104/4			
104/5			
104/6			
104/7			
104/8			
104/9	0.283		
104/10			
104/11			
104/12			
104/13			
104/14			
104/15			
104/16			
108/1	0.162		
108/2			
109	0.185		
110	0.092		
144/1	0.068		
144/2			
111	0.004		
112	0.210		
113/1			
113/2	0.313		
113/3			
113/4			
114/मिन-1	0.535		
114/मिन-2			

(1)	(2)	(3)	(4)
124/1/1		उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
124/1/2			
124/1/3			
124/1/4			
124/2/1/1			
124/2/1/2			
124/2/1/3			
124/2/1/4	0.849		
124/2/2			
124/2/3			
124/2/4			
124/2/5			
124/2/6			
124/2/7			
124/2/8			
125	0.014		
126	0.041		
127	0.091		
123/1/1			
123/1/2/1			
123/1/2/2			
123/1/3			
123/1/4/1			
123/1/4/2	0.812		
123/1/5/1			
123/1/5/2			
123/1/6			
123/2			
122/1			
122/2	2.311		
122/3			
122/4			
116/1			
116/2			
116/3	0.922		
116/4			
116/5			
118/1/1			
118/1/2			
118/1/3			
118/1/4			
118/1/5	0.500		
118/2			
118/3			
118/4			
117	0.080		
निजी भूमि का योग . .	15.901		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 153-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलत: वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अत: उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम—मटिहनी

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—पैगमा आबाद नं.-30

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 10.254 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
130/1 130/2	0.081	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
129/1 129/2	0.019		
128	0.008		
126	0.001		
103	0.130		
104	0.210		
106	0.198		
107/ 102/2	0.115		
125	0.030		
127	0.237		
108/1 108/2 108/3 108/4 108/5 108/6 108/7 108/8 108/9 108/10 108/11	0.464		

(1)	(2)	(3)	(4)
109	0.206	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
110	0.205		
111	0.138		
112	0.404		
113/1 113/2	0.241		
114	0.089		
115/1 115/2	0.170		
116	0.071		
117	0.556		
118	0.450		
92	0.047		
90	0.117		
89	0.180		
86	0.006		
87	0.155		
88	0.108		
202/1 202/2	0.246		
201/1 201/2	0.006		
203	0.177		
204/मिन-1 204/मिन-2	0.074		
205	0.283		
85	0.092		
60	0.938		
222	0.281		
223	0.239		
224	0.169		
53	0.248		
52	0.165		
55	0.015		
54	0.184		
15	0.088		
51/1 51/2 51/3 51/4	0.203		
49	0.407		
50/1 50/2 50/3	0.328		

(1)	(2)	(3)	(4)
24	0.078	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
22/1 22/2	0.538		
23/1 23/2 23/3 23/4 23/5 23/6 23/7 23/8	0.580		
27	0.030		
26/1 26/2 26/3 26/4	0.234		
122/1 122/2 122/3	0.015		
निजी भूमि का योग . .	10.254		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 155-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलत: वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अत: उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—बहरी
(ग) ग्राम—भितरी

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—22

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 4.895 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
523/1122	0.116	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
522/1			
522/2			
522/3			
522/4	0.281		
522/5			
522/6			
522/7			
522/8			
515/1			
515/2			
515/3	0.171		
515/4			
515/5			
515/6			
517/1			
517/2			
517/3			
517/4	0.290		
517/5			
517/6			
517/7			
517/8			
512	0.015		
519	0.115		
518/1			
518/2	0.020		
506/1			
506/2	0.164		
506/3			
504	0.008		
503	0.001		
505	0.070		
502/1			
502/2			
502/3	0.085		
502/4			

(1)	(2)	(3)	(4)
507	0.004	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
499	0.130		
500/1, 500/2, 500/3	0.064		
497/1, 497/2	0.084		
498	0.110		
496	0.003		
495/1, 495/2, 495/3, 495/4	0.225		
494/1, 494/2, 494/3, 494/4, 494/5	0.074		
491	0.300		
441/1, 441/2, 441/3	0.001		
493/मिन.1, 493/मिन.2	0.169		
489	0.084		
492	0.059		
554	0.018		
553	0.097		
556	0.008		
555	0.047		
485	0.192		
487	0.051		
486	0.180		
481	0.034		
475/1, 475/2, 475/3, 475/4	0.270		
480	0.042		
479/1, 479/2, 479/3	0.034		
478/1, 478/2	0.082		

(1)	(2)	(3)	(4)
477/1 477/2 477/3 477/4 477/5 477/6 477/7 477/8	0.072	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
583/1, 583/2	0.150		
584	0.142		
585	0.005		
487	0.039		
589	0.066		
588/1 588/2 588/3 588/4 588/5	0.162		
597	0.055		
351/1/1 351/1/2 351/1/3 351/2	0.308		
350	0.043		
347/1/1 347/1/2 347/1/3 347/1/4 347/1/5 347/1/6 347/1/7 347/2 347/3	0.113		
345	0.042		
निजी भूमि का योग . .	4.895		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 157-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलत: वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अत: उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम—पताई

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—बहरी नं.-51

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 3.258 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
280/1/1 280/1/2 280/2	0.084	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
279	0.130		
281	0.001		
282/1, 282/2	0.051		
283	0.116		
277	0.008		
269	0.046		
267/1, 267/2	0.002		
263	0.130		
268	0.011		
254/664	0.064		
254/1, 254/2	0.270		
257	0.001		
259/1/1/1 259/1/1/2 259/1/1/3 259/1/1/4 259/1/1/5 259/1/2 259/1/3 259/1/4 259/1/5 259/1/6 259/1/7 259/1/8 259/1/9 259/1/10 259/1/11 259/1/12 259/1/13 259/2	0.377		

(1)	(2)	(3)	(4)
291/1 291/2 291/3	0.134	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
292/1 292/2 292/3	0.050		
293/1 293/4 293/5 293/6 293/1/2 293/1/3 293/2 293/3	0.148		
297	0.058		
512/1 512/2 512/3 512/4 512/5 512/6 512/7 512/8	0.365		
511/1 511/2 511/3 511/4 511/5 511/6	0.174		
508	0.002		
510/1, 510/2	0.135		
519	0.070		
518	0.023		
525	0.036		
524/1 524/2 524/3 524/4	0.044		
520	0.070		
521/1, 521/2	0.012		
522/1, 522/2	0.031		
529	0.030		
530	0.040		
531	0.022		
532	0.034		

(1)	(2)	(3)	(4)
534	0.020	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
536	0.022		
533	0.050		
451	0.033		
489	0.021		
492/1, 492/2	0.002		
494	0.011		
496/1, 496/2, 496/3, 496/4	0.020		
497/1, 497/2, 497/3	0.065		
498/1, 498/2	0.002		
495	0.240		
528	0.003		
निजी भूमि का योग . .	3.258		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 159-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलत: वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अत: उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—बहरी
(ग) ग्राम—खैरा
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—खैरा नं. 16
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 1.716 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
855/मिन.-1, 855/मिन.-2	0.009	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
833	0.096		
804	0.068		
805	0.093		

(1)	(2)	(3)	(4)
832	0.005	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
806/1, 806/2	0.087		
807/1, 807/2, 807/3, 807/4	0.142		
827/1, 827/2, 827/3	0.069		
811	0.019		
823/1, 823/2	0.060		
812/1, 812/2	0.115		
813/1, 813/2, 813/3, 813/4, 813/5, 813/6, 813/7, 813/8, 813/9, 1031	0.042		
914/1, 914/2	0.053		
915	0.008		
916	0.014		
913/1, 913/2	0.045		
943	0.074		
947	0.061		
939	0.018		
948/1, 948/2, 948/3, 938/1, 938/2, 938/3	0.045		
958	0.052		
961	0.023		
962	0.040		
966	0.057		

(1)	(2)	(3)	(4)
967/1		उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
967/2/1			
967/2/2	0.050		
967/3			
967/4			
968/1			
968/2			
968/3	0.055		
968/4			
1034	0.058		
970	0.030		
971	0.024		
निजी भूमि का योग . .	1.716		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 161-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध हैं तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—बहरी
(ग) ग्राम—धुम्मा
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—पडरिया नं.-29
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 5.135 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
221	0.364	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
216	0.056		
217	0.210		
145	0.007		

(1)	(2)	(3)	(4)
220/1/1 220/1/2 220/2 220/3 220/4 220/5 220/6 220/7 220/8	0.274	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
218	0.120		
219	0.070		
211	0.280		
212	0.056		
210/1	0.050		
210/2	0.029		
173/1, 173/2	0.013		
207	0.002		
209	0.063		
154	0.008		
155/1 155/2 155/3	0.199		
156	0.100		
157	0.130		
158	0.350		
159/1/1, 159/1/2 159/2	0.166		
161	0.011		
162	0.010		
163	0.231		
170	0.885		
166/2	0.010		
166/1 166/3 166/4 166/5	0.086		
167/1 167/2 167/3 167/4 167/5	0.359		
168/1 168/2 168/3 168/4	0.370		

(1)	(2)	(3)	(4)
169/1		उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
169/2			
169/3			
169/4	0.289		
169/5			
169/6			
169/7			
23	0.121		
22	0.216		
निजी भूमि का योग . .	5.135		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 163-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलत: वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अत: उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—बहरी
(ग) ग्राम—कुशियारी
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—कुशियारी 12
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 5.472 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
582	0.071	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
583	0.016		
581	0.122		
584	0.125		
580	0.030		
586	0.202		
573	0.709		
568	0.037		
571	0.043		

(1)	(2)	(3)	(4)
572	0.038	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
614	0.150		
618	0.204		
620	0.249		
621	0.131		
619	0.026		
635	0.009		
622	0.180		
623	0.075		
626	0.064		
625/1, 625/2	0.060		
629/1, 629/2	0.059		
627	0.160		
632	0.069		
631/1, 631/2	0.092		
699	0.114		
698/1, 698/2	0.108		
697	0.147		
696	0.050		
658	0.105		
662	0.004		
695	0.060		
664	1.452		
678	0.140		
677	0.100		
676	0.196		
674	0.015		
630/1, 630/2	0.053		
633	0.006		
694	0.001		
निजी भूमि का योग . .	5.472		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 165-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलत: वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अत: उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम—गजरही उन्मुक्त

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—गजरही नं. 11

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 18.816 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
649/1, 649/2	0.029	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
646	0.040		
645	0.048		
643	0.956		
644	0.007		
655	0.131		
656	0.011		
657	0.218		
642	0.359		
628	0.006		
627/मि.-1 627/मि.-2 627/मिन.-3	0.015		
658	0.160		
659	0.104		
666	0.203		
626	0.280		
625/मिन.-1 625/मिन.-2 625/मिन.-3	0.330		
624	0.020		
623	0.030		
622/मिन.-1 622/मिन.-2 622/मिन.-3	1.105		
321/मिन.-1 321/मिन.-2	0.200		
322/1, 322/2, 322/3	0.736		
302/मिन.-1 302/मिन.-2 302/मिन.-2	0.045		
303	0.029		
304	0.017		
306	0.174		
667	0.039		

(1)	(2)	(3)	(4)
620	0.285	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
621	0.010		
565	0.027		
566	0.287		
567	0.140		
601	0.350		
567/834	0.030		
568	0.003		
600/832/मिन. 1 600/832/मिन. 2	0.018		
600/2/1 600/2/2 600/3 600/मिन. 1	0.600		
598	0.054		
597	0.055		
591	0.170		
589	0.003		
593	0.008		
592	0.069		
596	0.250		
618	0.130		
613	0.274		
617	0.032		
616	0.257		
595	0.161		
603	0.109		
606	0.113		
615	0.024		
610	0.012		
607/मिन. 1 607/मिन. 2	0.262		
604	0.130		
468/1 468/2	0.006		
466	0.059		
467	0.050		
465	0.126		
463	0.105		
462	0.014		
359	0.442		
365	0.766		
368	0.095		
360	0.043		

(1)	(2)	(3)	(4)
361/1, 361/2	0.188	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
340	0.007		
362	0.061		
363/मिन.-1, 363/मिन.-2	0.313		
364	0.118		
371	0.101		
372	0.026		
324	0.172		
325/1 325/2/1 325/2/2 325/3	0.260		
326	0.254		
327	0.040		
328	0.097		
329	0.186		
330	0.071		
331	0.058		
332	0.261		
307	1.171		
310	0.131		
311/3/1, 311/3/2	0.516		
311/मिन. 1 311/मिन. 2 283/मिन. 1 283/मिन. 2 283/मिन. 3	0.655		
280	0.119		
279/1, 279/2	0.374		
278	0.056		
284/मिन.-1, 284/मिन.-2	0.007		
285	0.018		
287/मिन.-1, 287/मिन.-2	0.002		
273	0.018		
274/मिन.-1, 274/मिन.-2 274/मिन.-3/1 274/मिन.-3/2	0.524		
275/1 275/2 275/3	0.169		
251	0.073		
210	0.126		
202/मिन.-1, 202/मिन.-2	0.001		

(1)	(2)	(3)	(4)
250/मिन.-1, 250/मिन.-2 250/मिन.-3	0.160	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
211	0.039		
209	0.837		
208/1, 208/2	0.147		
207	0.017		
216/1/1 216/1/2 216/1/3 216/1/4 216/1/5 216/1/6 216/2/1 216/2/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7	0.154		
218	0.105		
218/842/1 218/842/2	0.090		
219/1/1 219/1/2 219/1/3 219/1/4 219/1/5 219/1/6 219/1/7 219/1/8 219/1/9 219/1/10 219/1/11 219/1/12 219/1/13 219/2/1 219/2/2 219/3/1 219/3/2 219/3/3 219/3/4 219/4/1 219/4/2	0.233		
निजी भूमि का योग . .	18.816		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 167-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलत: वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अत: उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—बहरी
(ग) ग्राम—देवरी
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—पैगमा आवाद 30
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 1.710 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
11/1/1/1		उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
11/1/2			
11/1/3			
11/1/4			
11/1/5			
11/1/6			
11/1/7			
11/1/8			
11/1/9	0.628		
11/1/10			
11/1/11			
11/1/12			
11/1/13			
11/1/14			
11/1/15			
11/2			
12	0.135		
14	0.021		
9	0.011		
10	0.221		

(1)	(2)	(3)	(4)
5/1		उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
5/1/1			
5/2			
5/2/1			
5/2/3			
5/2/4	0.155		
5/2/5			
5/2/6			
5/2/7			
5/2/8			
5/3			
4/1, 4/2	0.107		
7	0.008		
6	0.050		
8	0.003		
250/1/1			
250/1/2			
250/1/3			
250/1/4			
250/1/5			
250/1/6			
250/1/7			
250/1/8	0.341		
250/1/9			
250/2/1/2			
250/2/3			
250/2/4			
250/2/5			
250/2/6			
250/2/7			
251	0.030		
निजी भूमि का योग . .	1.710		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 169-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलत: वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें

क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अत: उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—बहरी
(ग) ग्राम—बहरी
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—बहरी नं. 51
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 18.963 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
84	0.019	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
83	0.014		
85	0.252		
115	0.002		
114	0.048		
86	0.035		
87	0.002		
90	0.168		
91	0.030		
92	0.065		
93	0.046		
94	0.019		
95	0.015		
89	0.028		
170	0.075		
177	0.131		
176	0.007		
178/मिन.-1, 178/मिन.-2	0.104		
181/1, 181/2	0.105		
179	0.105		
180	0.109		
183/1			
183/2			
183/3			
183/4	0.182		
183/5			
183/6			
184/1			
184/2	0.138		
184/3			
185	0.099		

(1)	(2)	(3)	(4)
190/मिन.1, 190/मिन.2	0.048	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
189	0.002		
186	0.006		
439/मिन.1 439/मिन.2 439/मिन.3 439/मिन.4	0.093		
440/1 440/2 440/3	0.371		
536/मिन.1 536/मिन.2	0.163		
537	0.024		
538	0.081		
539/1, 539/2, 539/3	0.328		
581	0.267		
540/1	0.160		
540/2	0.132		
540/3	0.117		
540/4	0.083		
580	0.025		
579	0.265		
575	0.079		
576	0.176		
578	0.178		
590/मिन.1, 590/मिन. 2	0.283		
589	0.128		
588/मिन.1 588/2/1 588/3	0.017		
587	0.016		
577/मिन.1, 577/मिन.2	0.140		
574/मिन.1, 574/मिन.2	0.235		
591	0.455		
573/2/1, 573/2/2	0.067		
572/1 572/2 572/3 572/4 572/5	0.702		
592	0.016		
571	0.029		
570	0.028		

(1)	(2)	(3)	(4)
569/1/1, 569/1/2	0.083	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
569/2/1 569/2/2 569/2/3 569/2/4 569/2/5 569/2/6 569/2/7	0.387		
613/मिन.1, 613/मिन.2	0.001		
567	0.060		
566/मिन.1 566/मिन.2 566/मिन.3	0.521		
614/मिन.1, 614/मिन.2	0.046		
632	0.032		
633/1, 633/2	0.140		
635/मिन.1 635/मिन.2 635/मिन.3 635/मिन.4	0.035		
634/मिन.1 634/मिन.2 634/मिन.3 634/मिन.4	0.247		
631	0.341		
637/1 637/2 637/3 637/4 637/5 637/6 637/7	0.009		
643	0.076		
642/2, 642/मिन.1	0.393		
647/1 647/2 647/3 647/4 647/5 647/6 67/7 647/8 647/9 647/10	3.142		

(1)	(2)	(3)	(4)
647/11 647/12 647/13 647/14 647/15 647/16 647/17 647/18 647/19		उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
815/8 815/9 815/10 815/4 815/11 815/12 815/7 815/3 815/5 815/6 815/मिन.1	5.452		
816/मिन.1 816/मिन.2 816/मिन.3	1.446		
182/मिन.1, 182/मिन.2	0.040		
निजी भूमि का योग . .	18.963		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 171-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलत: वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अत: उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम—कोठार

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—कुबरी नं. 21,
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—0.770 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
2	0.200	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
3	0.301		
4	0.029		
30	0.026		
31	0.070		
29	0.123		
34	0.004		
32	0.016		
33/1, 33/2	0.001		
निजी भूमि का योग . .	0.770		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 173-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—बहरी
(ग) ग्राम—गजरहा
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—पडरिया 29,
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—8.252 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
73	0.050	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
72	0.701		
74	0.035		
76	0.019		

69	1.898	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
90	0.110		
220/1, 220/2	0.006		
217	0.022		
215/3/1 215/3/2 215/3/3 215/3/4 215/3/5 215/3/6 215/3/7	0.180		
165/1	0.010		
165/2	0.010		
165/3	0.010		
165/4/1 165/4/2 165/4/3 165/4/4 165/4/5 165/4/6	0.110		
166	0.024		
167	0.004		
164/1 164/2 164/3 164/4	0.090		
163	0.037		
158	0.007		
216	0.130		
227/1 227/2 227/3	0.146		
229	0.028		
225	0.089		
230/1	0.130		
230/2	0.120		
300/1	0.016		
231	0.075		
234	0.104		
232	0.312		
298/1	0.004		
289/1/1 289/1/2 289/1/3 289/1/4 289/2	0.763		

(1)	(2)	(3)	(4)
288/1, 288/2	0.051	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
287/1, 287/2	0.214		
293	0.001		
292	0.242		
321	0.360		
322	0.004		
323	0.249		
324	0.010		
320	0.031		
325/1/2	0.010		
325/1/3	0.010		
325/1/1 325/2 325/3 325/4/1 325/4/2 325/4/3 325/5	0.453		
326/1 326/2 326/3 326/4	0.063		
327/1 327/2 327/3 327/4	0.052		
390/1 390/2 390/3 390/4 390/5 390/6 390/7 390/8 390/9/1 390/9/2 390/10/1 390/10/2 390/11 390/12 390/13 390/14 390/15 390/16	0.278		

(1)	(2)	(3)	(4)
377/1 377/2 377/3 377/4/1 377/4/2 377/5 377/6 377/7 377/8 377/9 377/10	0.028	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
378/1 378/2 378/3	0.044		
379	0.069		
389	0.080		
388/1, 388/2	0.147		
385/1	0.010		
385/2	0.010		
385/3	0.010		
385/4	0.040		
385/5	0.208		
386	0.092		
372/2/1 372/2/2 372/2/3	0.219		
384	0.027		
निजी भूमि का योग . .	8.252		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 175-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम—खैरहा
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—तेन्दुहा नं. 20
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 2.939 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
77	0.257	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
78/1, 78/2	0.261		
79/2			
79/3			
79/4	0.197		
79/5			
79/6			
80	0.253		
81/1			
81/2			
81/3	0.212		
81/4			
88/1, 88/2	0.289		
89/1/1, 89/1/2	0.030		
89/1/3, 89/1/4			
89/1/5			
89/2			
92/1, 92/2	0.358		
93	0.010		
95/1/1			
95/1/2	0.557		
95/2/1/1			
95/2/1/2			
95/2/2			
97/1, 97/2	0.290		
99/1, 99/2	0.029		
98/1, 98/2	0.019		
61	0.032		
60	0.145		
निजी भूमि का योग . .	2.939		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभय वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च 2017

प्र. क्र. 01-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	डबका	994/1 995/1 1122/1 563/3 1122/2	0.320 0.340	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक-2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की गनपतपुरा नहर की (डबका) मायनर के निर्माण हेतु.
			योग . .	0.660		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	सकतपुरा	668	0.084	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक-2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की गनपत-पुरा नहर (सकतपुरा) मायनर के निर्माण हेतु.
			योग . .	0.084		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	उदयपुर	141/2	0.132	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक-2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर की (बेरजा) मायनर के निर्माण हेतु.
			141/3	0.025		
			योग . .	0.157		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	बिजौली	1555	0.090	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक-2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर की (रशीदपुर) डिस्ट्रीष्यूट्री की 3 एल मायनर के निर्माण हेतु.
			योग . .	0.090		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	चीनोर	सिकरोदा	7/11 मिन	0.156	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक-2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.
			7/11 मिन	0.156		
			योग . .	0.312		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 3 अप्रैल 2017

पृ. क्र. 326-जि.भू.अ.-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा/ धनौरा	मुंगवानी	0.11	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सिवनी.	भसूडा नाला में पुल निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 8 फरवरी 2017

प्र. क्र. 03-अ-82-2015-16-ई.नं. 368.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) के पद 1 में वर्णित भूमि की अनुसूची-2 में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम—देवरिया विजय तहसील—सीतामऊ

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाला भूमि का रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्राम देवरिया विजय	0.500	–	0.500

देवरिया विजय तालाब योजना
ग्राम देवरिया विजय, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर.

अनुसूची (2)

देवरिया विजय तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स. क्र.	नाम कृषक मय पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित किये जाने वाला रकबा			अन्य मलकियत
				सिंचित	असिंचित	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	उदा पिता देवा, मांगीबाई पति उदा जाति चमार निवासी देवरिया विजय.	128/18	0.500	0.500	–	0.500	
		योग . .	0.500	0.500	–	0.500	

(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—देवरिया विजय तालाब योजना हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड सीमामउ के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 31 मार्च, 2017

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 17-अ-82-2016-17-1318.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जैतपुर

(ग) ग्राम—जमगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.449 हेक्टर (भूमि एवं सम्पत्ति)

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
529/1	1.602
529/2	0.283
524	0.405
528	0.502
526	0.727
531/1	0.540
712	0.340
726	0.134
727	0.166
728	0.104
729	0.210
723/1	0.216
731	0.118
732	0.076
722/1	0.026
कुल योग . .	5.449

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोहरारी डायवर्सन योजना बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 31 मार्च 2017

प्र. क्र. 92-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—पवई

(ग) ग्राम—कुपना, प.ह.नं. 034

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.240 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1585	0.120	निजी भूमि
1586	0.120	निजी भूमि
1587	0.130	निजी भूमि
1636	0.120	निजी भूमि
1635	0.070	निजी भूमि
1634	0.070	निजी भूमि
1639	0.010	निजी भूमि
1633	0.020	निजी भूमि
1640	0.020	निजी भूमि
1641	0.020	निजी भूमि
1616	0.080	निजी भूमि
1617	0.050	निजी भूमि
1614	0.020	निजी भूमि
1613	0.060	निजी भूमि
1606/2	0.060	निजी भूमि
1604	0.050	निजी भूमि
1453	0.020	निजी भूमि
1454	0.130	निजी भूमि
1455	0.020	निजी भूमि
1447	0.120	निजी भूमि
1446	0.040	निजी भूमि
1444	0.160	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1436	0.060	निजी भूमि	221	0.100	निजी भूमि
1391/2	0.020	निजी भूमि	233	0.050	निजी भूमि
1392	0.090	निजी भूमि	230	0.030	निजी भूमि
1393	0.050	निजी भूमि	231/1	0.030	निजी भूमि
1386	0.020	निजी भूमि	231/2	0.010	निजी भूमि
1383	0.020	निजी भूमि	232	0.100	निजी भूमि
1394	0.140	निजी भूमि	250	0.030	निजी भूमि
1382	0.030	निजी भूमि	249	0.100	निजी भूमि
1418/1929	0.020	निजी भूमि	248	0.020	निजी भूमि
1395	0.050	निजी भूमि	241	0.070	निजी भूमि
1398	0.030	निजी भूमि	242	0.060	निजी भूमि
1396	0.040	निजी भूमि	280	0.070	निजी भूमि
1397	0.090	निजी भूमि	281	0.020	निजी भूमि
1378	0.050	निजी भूमि	243	0.030	निजी भूमि
1400	0.010	निजी भूमि	279	0.070	निजी भूमि
1377	0.030	निजी भूमि	278	0.030	निजी भूमि
1374	0.030	निजी भूमि	277	0.040	निज़ी भूमि
1376	0.010	निजी भूमि	307	0.010	निजी भूमि
1375	0.060	निजी भूमि	276	0.060	निजी भूमि
1373	0.060	निजी भूमि	435	0.010	निजी भूमि
1371	0.060	निजी भूमि	436	0.030	निजी भूमि
1372	0.110	निजी भूमि	437	0.080	निजी भूमि
1356	0.020	निजी भूमि	438	0.020	निजी भूमि
1367	0.380	निजी भूमि	431	0.010	निजी भूमि
1365	0.100	निजी भूमि	430	0.100	निजी भूमि
1131/1	–	निजी भूमि	401	0.070	निजी भूमि
1131/2	0.040	निजी भूमि	402	0.020	निजी भूमि
1332	0.010	निजी भूमि	446	0.090	निजी भूमि
1128	0.020	निजी भूमि	400	0.060	निजी भूमि
1129	0.150	निजी भूमि	399	0.060	निजी भूमि
183	0.080	निजी भूमि	398/1	0.030	निजी भूमि
184	0.020	निजी भूमि	514	0.100	निजी भूमि
187	0.030	निजी भूमि	515	0.040	निजी भूमि
188	0.010	निजी भूमि	516	0.100	निजी भूमि
189	0.130	निजी भूमि	517	0.080	निजी भूमि
191	0.010	निजी भूमि	507	0.110	निजी भूमि
220	0.070	निजी भूमि	506	0.060	निजी भूमि
222	0.020	निजी भूमि	590	0.080	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
554	0.070	निजी भूमि
589	0.130	निजी भूमि
586	0.010	निजी भूमि
585	0.040	निजी भूमि
580	0.060	निजी भूमि
581	0.100	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	6.240	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहरों निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 102-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पवई
(ग) ग्राम—कैथी, प.ह.नं. 017
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.344 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
836/1	0.072	निजी भूमि
836/2	0.084	निजी भूमि
837	0.012	निजी भूमि
838/1	0.132	निजी भूमि
840	0.030	निजी भूमि
863	0.030	निजी भूमि
841/1	0.090	निजी भूमि
841/2	0.090	निजी भूमि
841/3	0.090	निजी भूमि
827	0.010	निजी भूमि
823/2	0.222	निजी भूमि
820	0.020	निजी भूमि
802	0.138	निजी भूमि
803	0.030	निजी भूमि
806/1	0.090	निजी भूमि
806/2	0.042	निजी भूमि
704	0.162	निजी भूमि
702	0.030	निजी भूमि
703	0.020	निजी भूमि
674/1	0.168	निजी भूमि
674/2	0.060	निजी भूमि
675	0.030	निजी भूमि
685/1	0.090	निजी भूमि
685/3	0.090	निजी भूमि
685/4	0.018	निजी भूमि
213	0.102	निजी भूमि
206	0.040	निजी भूमि
207	0.150	निजी भूमि
205	0.162	निजी भूमि
193	0.020	निजी भूमि
807	0.020	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	2.344	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माईनर नहरों निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 103-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के

प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—पवई

(ग) ग्राम—बराहो, प.ह.नं. 035

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.976 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
736	0.042	निजी भूमि
737	0.051	निजी भूमि
744	0.032	निजी भूमि
745	0.016	निजी भूमि
743	0.016	निजी भूमि
742	0.013	निजी भूमि
741	0.016	निजी भूमि
740	0.032	निजी भूमि
765	0.051	निजी भूमि
764	0.050	निजी भूमि
772	0.050	निजी भूमि
771	0.016	निजी भूमि
773	0.019	निजी भूमि
774	0.019	निजी भूमि
801	0.032	निजी भूमि
800	0.003	निजी भूमि
799	0.003	निजी भूमि
1124/804	0.109	निजी भूमि
805	0.045	निजी भूमि
806	0.003	निजी भूमि
1132/812	0.054	निजी भूमि
812	0.045	निजी भूमि
818	0.077	निजी भूमि
826	0.090	निजी भूमि
825	0.002	निजी भूमि
827	0.036	निजी भूमि
840	0.064	निजी भूमि
839	0.032	निजी भूमि
837	0.029	निजी भूमि
836	0.022	निजी भूमि
838	0.032	निजी भूमि
856	0.038	निजी भूमि
855	0.029	निजी भूमि
857	0.042	निजी भूमि
854	0.035	निजी भूमि
859	0.035	निजी भूमि
860	0.048	निजी भूमि
861	0.036	निजी भूमि
867	0.066	निजी भूमि
866	0.072	निजी भूमि
1090	0.074	निजी भूमि
1092	0.200	निजी भूमि
1081	0.200	निजी भूमि
कुल अर्जित रकबा . .	1.976	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माईनर नहरों निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 10 अप्रैल 2017

क्र. 6562-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—जामनघाटी

(घ) अर्जित रकबा—1.070 हैक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
55/1	0.011
55/2	0.106
36	0.078
43	0.189
46	0.105
47	0.069
88/1	0.209
87	0.066
69	0.020
10	0.027
11	0.056
28	0.033
25	0.002
16	0.064
15	0.005
18	0.030
योग . .	1.070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—"नागदा-धार-गुजरी मार्ग (एस. एच.-31) के निर्माण हेतु".

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 27 फरवरी 2017

प्र. क्र.-8-अ-82-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिए यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—छतरपुर

(ग) नगर/ग्राम—आमखेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.691 हेक्टेयर

भूमि का खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
834/1	0.022
834/2	0.022
845	0.065
844	0.008
837	0.010
836	0.222
841/1	0.055
841/2	0.076
841/3	0.063
842/1	0.010
840/1	0.077
840/2	0.038
839	0.005
810/2	0.131
811/1/क	0.122
811/1/ख	0.056
811/2	0.020
812	0.103
802/1	0.080
802/2	0.120
801	0.002
803/1	0.066
800	0.250
799	0.059
798	0.009
कुल . .	1.691

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च 2017

क्र. 554-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री मोहम्मद फहीम अनवर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर	रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से श्री मनोहर ममतानी के स्थान पर दिनांक 01-04-2017 से.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 1st April 2017

No. 561-Confdl.-2017-II-3-1-2017.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting **Advance/Orientation Course (First Batch)** for the District Judges (Entry Level) promoted in the year 2017 from 17th April 2017 to 22nd April 2017 in the Academy.Judges, whose names and postings figure in the endorsement, are directed to attend the aforesaid Course.

Conditions for the course :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Course shall not pray for adjustment.

2. The participants shall report by 9.30 a.m. on **17-04-2017** in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.

3. They shall appear for the Course in prescribed uniform (i. e. Black coat, white shirt, grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies) during entire duration of the course.

4. T. A. & D. A. of the participants is remibursable only as per Government Rules.

5. The Participants may send legal problems which they want to be addressed during the Course to the Academy by mail at **mpsja@mphc.in or by Fax (No. 0761-2628679)** sufficiently in advance.

6. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

   Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed on the mobile number **09424958820** of **Shri K.L. Chourasia.** In case Shri Chourasia cannot be contacted, the participants may contact **Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A. G. I** on Mobile No. **08878747939** or to **Shri Pramod Kushwaha, A. G. III** on Mobile No. **09713717147** or on **Office telephone No. 0761-2628679** at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made.

   It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles. The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station,Jabalpur **(Platform No. 1 only)** as per the programme conveyed by the participants in advance. Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants.

7. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules. Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice.

8. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of Course and upto 12.00 noon of the succeeding day of the end of Course.

9. Participants shall bring proper sportswear and sports shoes, if they intend to utilize the facility of gymnasium.

10. The Reference Material is available on the official website of the Academy i. e. **www.mpsja.mphc.gov.in** at the link **mpsja.mphc.gov.in/knowledge-gateway.** No hard copy shall be provided to the participants. The participant's are requested to go though relecant reference material link.

11. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Course, free of charge, as per the rules of the Academy.

12. The Schedule of the Advance/Orientation Coures will be uploaded on the website of the Academy three days prior to the commencement of the Course. The participants are requested to go through the schedule and prepare themselves accordingly.

13. **The participants shall send softcopies of atleast three article/presentation/reserch paper/judgment/order authored by them for sharing and discussion in the Course on official email of the State judicial Academy i. e. mpsja@mphc.in atleast three days' prior to the schedule of the Course.**

क्र. B-2095-एक-7-3-16-भाग-एक..—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक सी-4309-एक-7-3-2016 भाग-1 जबलपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2016 एवं रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-224-एक-7-3-2016 भाग-1 जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर तथा उनकी रजिस्ट्री एवं मध्यप्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में रामनवमीं के उपलक्ष्य में पूर्व घोषित अवकाश दिनांक 4 अप्रैल 2017 को निरस्त करते हुए दिनांक 5 अप्रैल 2017 का अवकाश घोषित किया जाता है.

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर तथा उनकी रजिस्ट्री एवं मध्यप्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 4 अप्रैल 2017 को कार्यदिवस रहेगा.

जबलपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2017

क्र. C-1487.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना के निम्नलिखित सहायक ग्रेड-एक/मुख्य अनुवादक/स्टाम्प रिपोर्टर की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 9,300-34800+ग्रेड पे रु. 4200/- में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, कॉलम नं. 3 पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त से साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से पदोन्नत पदस्थापना पर दिनांक 20 अप्रैल 2017 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे. यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी एवं भविष्य में उनकी पदोन्नति पर एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा:—

क्र.	नाम एवं स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान	टीप
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री एस. एल. वर्मा, सहायक ग्रेड-एक मुख्यपीठ, जबलपुर.	खण्डपीठ, ग्वालियर	रिक्त पद पर
2	श्री एस. पी. ताम्रकार, सहायक ग्रेड-एक मुख्यपीठ, जबलपुर.	खण्डपीठ, ग्वालियर	रिक्त पद पर
3	श्री दिनेश लोकरे, सहायक सहायक ग्रेड-एक, खण्डपीठ, इन्दौर.	खण्डपीठ इन्दौर	रिक्त पद पर
4	श्री एच. के. कुशवाहा, सहायक ग्रेड-एक, मुख्यपीठ, जबलपुर.	खण्डपीठ, ग्वालियर	रिक्त पद पर
5	श्री आर.एस. चौधरी, सहायक ग्रेड-एक, मुख्यपीठ, जबलपुर.	खण्डपीठ, ग्वालियर	रिक्त पद पर
6	श्री संजय शंकर मिश्रा, मुख्य अनुवादक मुख्यपीठ, जबलपुर.	खण्डपीठ इन्दौर	रिक्त पद पर
7	श्री दिलीप वर्मा, स्टाम्प रिपोर्टर, मुख्यपीठ, जबलपुर.	खण्डपीठ इन्दौर	रिक्त पद पर

जबलपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2017

क्र. C-1574.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना के निम्नलिखित निजी सहायक की पदोन्नति निजी सचिव के रिक्त पद पर वेतनमान पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 9300-34800+ग्रेड पे रु. 4200/- में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, कॉलम नं. 3 पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त से साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से पदोन्नत पदस्थापना पर दिनांक 15 अप्रैल 2017 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण

करेंगे. यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी एवं भविष्य में उनकी पदोन्नति पर एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा:—

क्र.	नाम एवं स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान	टीप
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री वैभव येवलेकर, मुख्यपीठ, जबलपुर.	खण्डपीठ, इन्दौर	रिक्त पद पर
2	श्री अरूण कुमार मिश्रा, खण्डपीठ ग्वालियर.	खण्डपीठ, ग्वालियर	रिक्त पद पर
3	श्री त्रिलोक सिंह सावनेर, खण्डपीठ इन्दौर.	खण्डपीठ, इन्दौर.	रिक्त पद पर

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2017

क्र. E-2827-दो-3-420/80-भाग बारह.—श्री मनोहर ममतानी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार जनरल (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 172 दिवस (एक सौ बहत्तर दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर, 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

गणना-पत्रक

1.	श्री मनोहर ममतानी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार जनरल (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का नियुक्ति दिनांक.	:	02-01-1986
2.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक	:	31-03-2017
3.	नियुक्ति दिनांक 02-01-1986 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.	:	01 वर्ष 02 माह 07 दिन.
4.	दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	30 वर्ष, 00 माह, 22 दिन.
5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	01×15=15 दिन
6.	कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	30=15×15=225 दिन
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	240 दिन
8.	**घटाइये:**—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	:	15 दिन
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	225 दिन

(स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2017 को शेष अर्जित अवकाश 172 दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897-इक्कीस-ब(एक)07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2017

क्र. **B**-2216-दो-3-420/80-भाग बारह.—श्री ओमप्रकाश सुनरया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त दिनांक 31 जनवरी 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे

अवकाश में से 217 दिवस (दो सौ सत्रह दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर, 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1.	श्री ओमप्रकाश सुनरया, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ का नियुक्ति दिनांक.	:	17-09-1987
2.	सेवानिवृत्ति दिनांक	:	31-01-2017
3.	नियुक्ति दिनांक . . . . . से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.	:	लागू नहीं
4.	दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	29 वर्ष, 10 माह, 21 दिन.
5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	लागू नहीं
6.	कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	29=14×15=210 दिन 1×7=7 दिन
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	217 दिन
8.	**घटाइये:**—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	:	00 दिन
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	217 दिन

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. E-2821-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 6 से दिनांक 11 मार्च 2017 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E-2823-दो-3-420-80-भाग बारह.—श्री इकबाल अहमद, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 203 दिवस (दो सौ तीन दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर, 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1.	श्री इकबाल अहमद, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर का नियुक्ति दिनांक.	:	04-06-1985

2.	सेवानिवृत्ति दिनांक	:	31-01-2017
3.	नियुक्ति दिनांक 04-06-1985 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.	:	01 वर्ष 09 माह 05 दिन
4.	दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	29 वर्ष, 10 माह, 21 दिन.
5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	1×15=15 दिन
6.	कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	30=15×15=225 दिन
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	240 दिन
8.	**घटाइये:**—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	:	37 दिन
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	203 दिन

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. E-2825-दो-3-420-80-भाग बारह.—श्री योगेश कुमार सोनगरिया, सेवानिवृत्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश, रतलाम को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 232 दिवस (दो सौ बत्तीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर, 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1.	श्री योगेश कुमार, सोनगरिया सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,रतलाम का नियुक्ति दिनांक.	:	17-03-1983
2.	सेवानिवृत्ति दिनांक	:	28-02-2017
3.	नियुक्ति दिनांक 17-03-1983 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.	:	03 वर्ष 11 माह 22 दिन
4.	दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	28 वर्ष, 11 माह, 18 दिन.
5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	3×15=45 दिन
6.	कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता. (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	29=14×15=210 दिन 1×7=7 दिन
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	262 दिन
8.	**घटाइये:**—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	:	30 दिन
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	232 दिन

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. E-2829-दो-3-420-80-भाग बारह.—श्री श्रवण कुमार रघुवंशी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 225 दिवस (दो सौ पच्चीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर, 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1.	श्री श्रवण कुमार रघुवंशी, सेवानिवृत्त: जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार का नियुक्ति दिनांक.		16-10-1985
2.	सेवानिवृत्ति दिनांक	:	28-02-2017
3.	नियुक्ति दिनांक 16-10-1985 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.	:	01 वर्ष 04 माह 23 दिन
4.	दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	29 वर्ष, 10 माह, 21 दिन.
5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	1×15=15 दिन
6.	कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	30=15×15=225 दिन
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	240 दिन
8.	**घटाइये:**—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	:	15 दिन
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	225 दिन

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. E-2831-दो-3-420/80-भाग बारह.—श्री श्याम सुन्दर गर्ग, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश),कुटुंब न्यायालय, मुरैना को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 217 दिवस (दो सौ सत्रह दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर, 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

गणना-पत्रक

1.	श्री श्याम सुन्दर गर्ग, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) कुटुंब न्यायालय, मुरैना का नियुक्ति दिनांक.	:	24-02-1987
2.	सेवानिवृत्ति दिनांक	:	31-01-2017

3.	नियुक्ति दिनांक 24-02-1987 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.	:	00 वर्ष 00 माह 15 दिवस
4.	दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	29 वर्ष, 10 माह, 21 दिन.
5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	लागू नहीं
6.	कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	29=14×15=210 दिन 1×7=7 दिन
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	217 दिन
8.	**घटाइये:**—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	:	00 दिन
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	217 दिन

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च 2017

क्र. 559-गोपनीय-2017-दो-2-21-63.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा उच्च न्यायालय आदेश क्रमांक 488/गोपनीय/2016/दो-2-21/63, दिनांक 30 अप्रैल 2016 एवं क्रमांक 727/गोपनीय/2016/दो-2-21/63, दिनांक 15 जुलाई, 2016 क्रमांक 828-गोपनीय-2016-दो-2-21-63, दिनांक 10 अगस्त 2016 एवं क्रमांक 997-गोपनीय-2016-दो-2-21-63, दिनांक 5 अक्टूबर 2016 एवं क्रमांक 08-गोपनीय-2017-दो-2-21-63, दिनांक 2 जनवरी 2017 में आंशिक संशोधन करते हुये, उक्त आदेशों के स्तम्भ क्रमांक (2) में दर्शाये गये उच्चतर न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक के स्थान पर स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शाये गये दिनांक/पुनरीक्षित दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक (5) में अंकित रिक्त पद पर सुपर समय वेतनमान (Super Time Scale) रुपये 70290—1540—76450/- में नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम तथा पदनाम	सुपर समय वेतनमान में पूर्व में नियुक्ति का दिनांक	सुपर समय वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक/ पुनरीक्षित दिनांक	रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	डॉ. मोहम्मद शमीम, तत्कालीन प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इंदौर, इंदौर, वर्तमान में सेवानिवृत्त.	01-02-2015	01-02-2015	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (सीनियर) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना.	01-05-2015	01-02-2015	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
3	श्रीमती मीना सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया.	01-06-2015	01-05-2015	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
4	श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी.	01-06-2015	01-06-2015	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
5	श्रीमती सरिता सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास.	01-06-2015	01-06-2015	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
6	श्री मोहम्मद यूसुफ मंसूरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर, वर्तमान में सेवानिवृत्त.	01-06-2015	01-06-2015	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
7	श्री श्याम सुंदर गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्बर न्यायालय, मुरैना, वर्तमान में सेवानिवृत्त.	01-06-2015	01-06-2015	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
8	श्री विनोद भारद्वाज, द्वितीय अतिरिक्त, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल, वर्तमान में सेवानिवृत्त.	01-07-2015	01-06-2015	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
9	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (सीनियर), जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर.	21-09-2015	01-07-2015	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
10	श्री राजेश गुप्ता, जिला जज (निरीक्षण) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.	01-10-2015	21-09-2015	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
11	श्री शैलेन्द्र शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल.	01-11-2015	01-10-2015	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
12	श्री गौरी शंकर दुबे, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, ग्वालियर.	01-11-2015	01-11-2015	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	श्री अनिल वर्मा, जिला जज (निरीक्षण) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इन्दौर, इंदौर.	01-12-2015	01-11-2015	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
14	श्री इकबाल अहमद, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर, वर्तमान में सेवानिवृत्त.	01-02-2016	01-12-2015	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
15	श्री वृन्दावन लाल झा, द्वितीय अतिरिक्त, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर, वर्तमान में सेवनिवृत्त.	16-03-2016	01-02-2016	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
16	श्री अनुपम श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़.	07-04-2016	16-03-2016	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
17	श्री शिशिरकांत चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा, वर्तमान में सेवानिवृत्त.	07-04-2016	07-04-2016	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
18	श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़.	11-04-2016	07-04-2016	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
19	श्री राकेश कुमार सिंह (सीनियर), जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा.	20-04-2016	11-04-2016	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
20	श्री भागचंद मलैया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर, वर्तमान में सेवानिवृत्त.	24-05-2016	20-04-2016	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
21	श्री आलोक कुमार वर्मा (जूनियर) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर.	01-07-2016	23-05-2016	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
22	श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इंदौर, इंदौर.	01-07-2016	24-05-2016	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	श्री शम्भू सिंह रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा.	01-07-2016	01-07-2016	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
24	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.	06-07-2016	01-07-2016	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
25	श्री अभय कुमार (सक्सेना), जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.	01-08-2016	01-07-2016	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
26	श्री दिलीप कुमार मिश्रा, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर, वर्तमान में सेवानिवृत्त.	-	06-07-2016	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
27	श्री धीमन नारायण शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना.	01-10-2016	01-08-2016	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
28	श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर.	01-10-2016	05-08-2016	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
29	श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर.	03-10-2016	01-10-2016	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
30	श्री दीपक कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट.	-	01-10-2016	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
31	श्री राजेन्द्र कुमार (वर्मा) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल.	05-10-2016	03-10-2016	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
32	श्री कुशल पाल सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया.	05-10-2016	05-10-2016	पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 03 अप्रैल 2017

क्र. 567-गोपनीय-2017-दो-3-250-57 (भाग-35).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 27 मार्च 2017 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अभय सिंह, (मेरिट क्रमांक 89).	रीवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2.	सुश्री पूर्णिमा सैयाम (मेरिट क्रमांक 91).	शहडोल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, शहडोल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

क्र. 569-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित न्यायिक अधिकारी जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन फा. क्रमांक 3(ए) 4059-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 7 फरवरी 2017 एवं आदेश पृष्ठांकन फा. क्रमांक 3(ए) 4050-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 फरवरी, 2017 द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर वेतनमान 51550-1230-58930-1380-63070 में अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर या अन्य आदेश तक नियुक्त किया गया है, को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रशिक्षण हेतु पदस्थ करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	पदस्थापना का स्थान	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अशरफ अली, (मेरिट क्रमांक 05).	जबलपुर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
2.	श्री मनोज कुमार (मेरिट क्रमांक 12).	ग्वालियर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2017

क्र. 578-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017-(भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री मुकेश कुमार बाथम, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर.	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 580-गोपनीय-2017-दो-3-250-57 (भाग-35).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 7 फरवरी 2017 एवं 21 मार्च 2017 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री मोहित बड़के (मेरिट क्रमांक 59).	पन्ना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, पन्ना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2.	श्री लालता सिंह (मेरिट क्रमांक 70).	मण्डला	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, मण्डला के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2017

क्र. E-2784-दो-3-130-2009.—श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट ऑफिसर/एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2017 तक चार दिन का अर्द्धवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट ऑफिसर/एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट ऑफिसर/एडीशनल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-2786-दो-2-19-2017.—श्री अनिल कुमार पाठक, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 3 से 7 अप्रैल 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 अप्रैल 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 एवं 9 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार पाठक, ओ. एस. डी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार पाठक उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 21st March 2017

No. A-506.-III-6-4-57.—In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions, the High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Court of Shri Pankaj Singh Maheshwari, Additional Sessions Judge, Indore and Smt. Maya Vishwalal, Additional Sessions Judge, Jabalpur for trial of cases relating to offences investigated by the Central Bureau of Investigation for Indore and Jabalpur respectively in supersession of all its earlier notifications is this regard.

जबलपुर, दिनांक 28 मार्च 2017

क्र. A-585-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित न्यायाधीश अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे. यह अधिसूचना तालिका के क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है.

श्री गंगाचरण शर्मा, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, अशोकनगर एवं श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह, अष्टम् अपर जिला न्यायाधीश, भोपाल अपने कार्यस्थल पर ही बैठक करेंगे.

No. A-585-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Judges named in the Column no. (3) of the following table shall also hold sitting at places mentioned in the Column no. (2) of the table in addition to his place of sitting for the period mentioned in the Column no. (4) for holding Link Court. This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Court for the places mentioned in Column No. (2) of the Table.

Shri Gangacharan Sharma, II ADJ, Ashoknagar and Shri Bhupendra Kumar Singh, VIII ADJ, Bhopal will sit at their places of posting only.

TABLE

S. No.	Places, where Link Court is to be held	Name of the Officer and designation	No. of Days for the Link Court
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chanderi	Shri Anand Priya Rahul, I ADJ, Ashoknagar	1 week
2.	Berasia	Shri Sanjay Kumar Pandey, IV ADJ, Bhopal.	2 weeks

No. B-1963.-III-6-6-84.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions, the High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Judges shown in the Column No. (3) of the Table below to be the Presiding Officers of the Court for trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with Rape and all other offences relating thereto for the Places shown in Column No. (2) of the said table. This notification is being issued in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of the following places:—

TABLE

S. No.	Place	Name of the Officer and Designation
(1)	(2)	(3)
1.	Anooppur	Shri Mahesh Kumar Saini, I ASJ
2.	Betul	Ku. Pratibha Sathwane, II ASJ
3.	Chhindwara	Shri Sanjeev Kumar Agrawal, II ASJ.
4.	Gwalior	Shri Sanjay Kumar Jain (Jr. 1), X ASJ.
5.	Jabalpur	Shri P. C. Gupta, X ASJ
6.	Rewa	Shri Sandeep Kumar Shrivastava, II ASJ.
7.	Tikamgarh	Shri Neetu Kanta Verma, III ASJ
8.	Ujjain	Ku. Jasveer Kaur Sasan, I ASJ
9.	Vidisha	Smt. Shashi Singh, I ASJ
10.	Shahdol	Shri D. K. Paliwal, Special Judge, SC/ST (POA) Act.
11.	Hoshangabad	Smt. Niharika Singh, I ASJ
12.	Dindori	Smt. Bhagwati Choudhary, SJ
13.	Damoh	Shri Deepak Sharma, III ASJ
14.	Alirajpur	Smt. Shobha Porwal, SJ
15.	Burhanpur	Shri Rajesh Nandeshwar, III ASJ
16.	Harda	Shri Ratan Kumar Verma, I ASJ
17.	Mandsaur	Shri Madhusudan Mishra, II ASJ
18.	Panna	Shri Shiv Badan Verma, Special Judge SC/ST (POA) Act.
19.	Seoni	Shri Suresh Kumar Choubey, I ASJ
20.	Umaria	Shri Jai Shankar Shrivastave, II ASJ
21.	Indore	Smt. Varsha Sharma, V ASJ

No. B-1975.-III-6-4-57.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code

of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions, the High Court of Madhya Pradesh hereby designates Shri Nitiraj Singh Sisodiya, Judicial Magistrate, First Class, Indore as Presiding Officer of the Court of Judicial Magistrate, First Class for CBI cases, established by the Government of Madhya Pradesh *vide* Notification No. F-1/5/96/21-B(1), dated 3rd March, 2011 for the areas comprising of the Districts Indore, Bhopal, Raisen, Sehore, Dewas, Shajapur, Dhar, Khandwa, Rajgarh, Jhabua, Mandsaur, Neemuch, Ratlam, Ujjain, Mandleshwar, Gwalior, Bhind, Datia, Guna, Morena, Shivpuri, Vidisha, Barwani, Burhanpur, Ashok Nagar, Alirajpur, Sheopur and Harda for trial of cases relating to offences investigated by the Central Bureau of Investigation in supersession of all its earlier notification in this regard.

The Headquarter of the Court shall be at Indore.

Jabalpur, the 30th March 2017

No. B-2019-III-6-5-14.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Criminal Procedure code, 1973 and all other enabling provisions, the High Court of Madhya Pradesh hereby designates First Additional Sessions Judges, for the places namely Indore, Rewa, Bhind, Chhatarpur & Guna for their respective areas, for trial of offences relating to VYAPAM scam matters and other matters linked thereto, investigated by Central Bureau of Investigation.

This Notification is in supersession to the earlier Notification (s) in respect of designating judges for trial of cases relating to VYAPAM scam for the above places & shall come into force with immediate effect.

Jabalpur, the 31st March 2017

No. B-2075.-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Madhaya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in Partial Modification of its Notification No. A/585, dated 28th March 2017, the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Kisna Atulkar, Special Judge under Electricity Act, Bhopal Shall hold sitting at Berasia in addition to his place of sitting, Bhopal a period of 2 weeks in a month for holding Link Court in place of Shri Sanjay Kumar Pandey, Fogurth Additional District and Sessions Judge, Bhopal.

Shri Sanjay Kumar Pandey, Fourth Additional District and Sessions Judge, Bhopal shall hold sitting at his place of posting Bhopal only.

By order of the High Court,
VIVEK SAXENA, O.S.D. (D. E.).

Jabalpur, the 28th March 2017

No. B-1977.-III-6-4-13.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions, the High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Judicial Officers shown in the Column No. (2) of the Table below to be the Presiding Officers of the Court to deal with the cases relating to offences registered by Cyber and Hi-Technique crimes Police Station, Bhopal for the Zones specified in Column No. (3) for the Districts shown in Column No. (4) of the said table. This notification is being issued in supersession of previous notifications in this regard in respect of Bhopal and Jabalpur Zones:—

TABLE

S. No.	Name and Designation of Judicial Officers	Zone	District to which the jurisdiction of the Zonal Courts shall extend
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Arvind Kumar Goyal, III ASJ, Bhopal.	Bhopal	Betul, Bhopal, Damoh, Harda, Hoshangabad, Raisen, Rajgarh, Sagar, Sehore and Vidisha.
2.	Shri P. C. Gupta, Jabpalur X ASJ, Jabalpur.	Jabalpur	Anuppur, Balaghat, Chhindwara, Dindori, Jabalpur, Katni, Mandla, Narsinghpur, Rewa, Satna, Seoni, Shahdol, Sidhi, singrauli and Umaria.

VIVEK SAXENA, O.S.D. (D. E.).